



कानपुर नगर निगम

दिनांक 10.12.2021 दिन शुक्रवार को सम्पन्न हुई

मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त

समय पूर्वान्ह 11.30 बजे

स्थान: नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष

मोतीझील, कानपुर।



कार्यालय सचिव नगर निगम
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्या :- डी/251/सचिव (न0नि0)/2021-22

दिनांक :- 15/12/2021

सेवा में,

मा0 श्री/श्रीमती.....

पार्षद वार्ड सं0...../सदस्य कार्यकारणी

महोदय/महोदया,

नगर निगम मा0 कार्यकारणी समिति की दिनांक 10.12.2021 दिन शुक्रवार को पूर्वान्ह 11.30 बजे सम्पन्न हुई, बैठक का कार्यवृत्त सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

सचिव
नगर निगम, कानपुर

संलग्नक :-

कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 90 तक।

प्रतिलिपि :-

1. मा0 महापौर जी को सादर अवलोकनार्थ।
2. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
3. अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर निगम, कानपुर

दिनांक 10.12.2021 दिन शुक्रवार को प्रातः 11:30 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त :-

उपस्थिति

01	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर/सभापति
02	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	उपसभापति/ सदस्य
03	श्री यशपाल सिंह	पार्षद/ सदस्य
04	श्री दीपक शर्मा	पार्षद/ सदस्य
05	श्री राघवेन्द्र मिश्रा	पार्षद/ सदस्य
06	श्री राशिद महमूद	पार्षद/ सदस्य
07	श्री अमित कुमार मेहरोत्रा	पार्षद/ सदस्य
08	श्री अशोक पाल	पार्षद/ सदस्य
09	श्री घनश्याम गुप्ता	पार्षद/ सदस्य
10	श्री अमनदीप सिंह गम्भीर	पार्षद/ सदस्य
11	श्री राजीव सेतिया	पार्षद/ सदस्य
12.	श्री अर्पित यादव	पार्षद/ सदस्य

अधिकारी

1. श्री शिवशरणप्पा जीएन, नगर आयुक्त
2. श्री सूर्य कान्त त्रिपाठी, अपर नगर आयुक्त 'प्रशासन'
3. श्रीमती रोली गुप्ता, अपर नगर आयुक्त
4. श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
5. डॉ0 (श्री) अजय कुमार संखवार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी
6. श्री एस0 के0 सिंह, मुख्य अभियन्ता (सिविल), नगर निगम
7. श्री नीरज गौड़, महाप्रबन्धक, जल कल विभाग, नगर निगम
8. श्री स्वर्ण सिंह, उप नगर आयुक्त
9. श्री राधे श्याम पटेल, सचिव नगर निगम

लगी ?

समापति ने मुख्य अभियन्ता से पूछा कि किसी भवन की निर्धारित आयु क्या है ? तथा प्रथमतः शौचालय को गिराने में कितनी अवधि

व्यस्त शौचालय के स्थान पर बारतशाहा का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।
अतएव आपसे अनुरोध है कि शक्ति सेवा दल स्कूल के सामने स्थित पार्क की बगल में खाली पड़ी जमीन पर स्थित शौचालय पूर्ण रूप से

की क्षीय जनता सामाजिक व धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सके।
क्षतिग्रस्त होने के कारण शौचालय जरायम और अनैतिक कार्यों का अड्डा बना हुआ है, इससे गिराकर सामुदायिक केंद्र बना दिया जाये। जिससे वहाँ क्षेत्र कई वर्षों से 100 प्रतिशत ऑटोड्रीपिंग का क्षेत्र है। उक्त जमीन पर बना शौचालय वहाँ के निवासियों को अब कोई आवश्यकता नहीं है। शौचालय पूर्ण रूप से जीर्ण-क्षीर्ण व व्यस्त हो गया है, वहाँ पर निवास करने वाली जनता के घरों में अपने स्वयं द्वारा निर्मित शौचालय बन चुके हैं। यह अवगत कराना है कि हमारे वार्ड-69 के अन्तर्गत शक्ति सेवा दल स्कूल के सामने स्थित पार्क के बगल में खाली पड़ी जमीन पर स्थित

शौचालय को गिराकर सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव।
विषय :- शक्ति सेवा दल स्कूल के सामने स्थित पार्क के बगल में खाली पड़ी जमीन पर लगभग 28 वर्ष पूर्व निर्मित जीर्ण-क्षीर्ण / क्षतिग्रस्त

कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:-

श्री अरविन्द यादव, मा10 पार्क वार्ड 69 सरोजनी नगर, कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा10 महापौर जी, द्वारा पृच्छाकृत है, मा10

प्रस्ताव संख्या-334

निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

नगर आयुक्त ने सर्वप्रथम समापति का स्वागत करते हुए सभी सदस्यों एवं अधिकारियों को बैठक में प्रतिभाग करते हुए बैठक में लिये गये

कार्यकारिणी के बैठक बुलानी पड़ी। यदि किसी के प्रस्ताव कार्यसूची में न लाये जा सकें हों, तो बैठक में हस्तगत (टैबुल) किये जा सकते हैं।

समापति ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कहा कि वर्तमान माह दिसम्बर 2021 कार्यक्रमों के कारण अत्यन्त व्यस्त है उसी के परिप्रेक्ष्य

तदनुपालम में मुख्य अभियन्ता ने बताया कि सी0सी0 (क्रंकीट, सीमेण्टेड) भवन की आयु लगभग 100 वर्ष होती है, साथ ही यह भी कहा कि किसी भवन को गिराने में लगभग 15 दिन का समय लगता है।

उपसभापति ने कहा कि उचित होगा कि स्थलीय निरीक्षण कर तदनुसार जाँच करा लिया जाये।

.....तदनुसार स्थलीय निरीक्षण कर जाँच कराते हुए आख्या अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

प्रस्ताव संख्या-335

श्री विजय त्रिपाठी,संपादक,अमर उजाला लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी, द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:-

विषय:-कानपुर शहर के गोविन्दपुरी पुल पर अमर उजाला व कानपुर नगर निगम के साथ संदेश बोर्ड लगाने के संदर्भ में।

अमर उजाला कानपुर शहर का एक अग्रणी अखबार है। जो कि अपने प्रथम कर्तव्य पाठकों तक समाचार पहुंचाने के साथ ही शहर के सामाजिक और जनहित से जुड़े कार्यों में भी सदैव अग्रणीय प्रयास करता रहता है।

इस संदर्भ में दूसरे पुलों पर जिन शर्तों के अनुसार कानपुर शहर में स्वच्छता व यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करते संदेश बोर्ड (क्योंस्क) लगाने की अनुमति दी गई है, उन्हीं शर्तों के तहत शहर के गोविन्दपुरी नये व पुराने दोनों ही पुलों पर लगाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

गोविन्दपुरी पुल पर लगे बोर्ड में स्वच्छता एवं यातायात नियमों के साथ कानपुर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण व अमर उजाला के 'लोगो' (logo) को भी प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बोर्ड्स लगाने के लिए 'अमर उजाला' को निःशुल्क अनुमति देने की कृपा करें, जिसमें बोर्ड लगवाने, रखरखाव इत्यादि व व्यय अमर उजाला द्वारा वहन किया जायेगा।

.....तदनुसार गोविन्दपुरी स्थित नये एवं पुराने पुल पर अमर उजाला के लगाने वाले बोर्डों में स्वच्छता एवं यातायात नियमों के दृष्टिगत कानपुर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण एवं अमर उजाला के 'लोगो' (logo) को प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री महेंद्र नाथ शुक्ला, मा10 पार्थद वाई-49 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा10 महापौर जी, द्वारा पृष्ठांकित है, मा10 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:-

निवेदन है कि इन शिक्षिकाओं को नगर निगम द्वारा संचालित विलविहीन विद्यालयों में अंशकालिक अध्यापिका के रूप में निगम द्वारा नियुक्त विज्ञापन पर घयन समिति द्वारा सत्र 2007-08 में घयनित किया गया था। तब से ये शिक्षिकायें लगातार कार्यरत हैं। उक्त नियुक्त के पूर्व भी ये शिक्षिकायें लगभग दस वर्ष इन्हीं विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर चुकी हैं। जबकि उक्त समय पर ही संविदा पर कार्यरत 10 शिक्षिकाओं को अस्थायी नियुक्ति कर नियमित वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है।

महोदया आपके संज्ञान में लाना चाहेंगी कि ये शिक्षिकायें नियुक्ति के समय से लेकर अब तक अस्थायी पद पर तैनात हैं। पुनः आपके संज्ञान में लाना चाहेंगी कि एक समान नियुक्ति अधिकांश होने के पश्चात भी इन अस्थायी पद पर कार्यरत शिक्षिकाओं को नियमित वेतन दिया जा रहा है। उक्त पदों पर किया गया है।

आपके संज्ञान में पुनः लाना चाहेंगी कि इन शिक्षिकाओं की नियुक्ति निगम द्वारा वैधानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत घयन समिति द्वारा घयनित कर रिक्त पदों पर किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इनके लम्बे सेवाकाल को देखते हुए अस्थायी शिक्षिकाओं की भाँति ही इन्हें भी माह मई + जून के वेतन के साथ समान वेतन (रू0 सत्तर हजार) करने की कृपा करें, ताकि ये शिक्षिकायें भी स्वस्थ मानसिकता से अपना शिक्षण कार्य करते हुए अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहण कर सकें।

इस महान कार्य के लिए सभी आपकी सदा अमासी रहेंगी।

मुख्य विल एवं लेखाधिकारी ने नगर आयुक्त से अनुरोध किया कि विलीय प्रकरणों से सम्बन्धित मामलों को उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाना समीचीन होगा। अतः समिति बनाकर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

समापति ने कहा कि वर्तमान महंगाई के दृष्टिकोण इन शिक्षिकाओं का भी वेतन अत्यधिक कम है। अतः वेतनवृद्धि पर निर्णय लिया जाना उचित होगा।

तदनुसार अंशकालिक शिक्षिकाओं को रू0 40,000/- (रू0 चालीस हजार) प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या-337

श्री सुशील अवस्थी (गुड्डू), मा० पार्षद वार्ड-50, पनकी गंगागंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा० महापौर जी, द्वारा पृष्ठांकित है, मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:-

विषय :- वार्ड-50, जोन-5 अन्तर्गत पनकी गंगागंज में मकान नं०-147 एल०आई०जी० भाग -3 से पंकज आटा चक्की से आंगनवाड़ी केन्द्र तक सड़क, नाली एवं फुटपाथ निर्माण पत्रावली आगणन घनांक 1942410.00 की स्वीकृति हेतु मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव।

अवगत कराना है कि मेरे वार्ड-50, जोन-5 अन्तर्गत पनकी गंगागंज में मकान नं०- 147 एल०आई०जी० भाग -3 से पंकज आटा चक्की से आंगनवाड़ी केन्द्र तक सड़क, नाली एवं फुटपाथ निर्माण हेतु आगणन घनांक 1942410.00 की पत्रावली अभियन्त्रण खण्ड, जोन-5 द्वारा बनायी गयी है। उक्त सड़क निर्माण न होने के कारण जनता को प्रतिदिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उक्त कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

अतएव वार्ड-50, जोन-5 अन्तर्गत पनकी गंगागंज में मकान नं०- 147 एल०आई०जी० भाग -3 से पंकज आटा चक्की से आंगनवाड़ी केन्द्र तक सड़क, नाली एवं फुटपाथ निर्माण हेतु आगणन घनांक 1942410.00 (रूपया उन्नीस लाख बयालीस हजार चार सौ दस मात्र) का प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

.....तदनुसार सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या-338

श्री रमेश चन्द्र हठी, मा० पार्षद वार्ड-1, भा०ज०प०, लक्ष्मीपुरवा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा० महापौर जी, द्वारा पृष्ठांकित है, मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:-

सादर अवगत कराना है कि हर वर्ष सन्त शिरोमणि रविदास जी का जन्मोत्सव माघी पूर्णिमा को मनाया जाता है। सन् 1946 से सतगुरु रविदास जुलूस कमेटी रजि० द्वारा फूलबाग में जन्मोत्सव कार्यक्रम निशुल्क किया जाता रहा है।

अवगत करना है कि नगर निगम की कई परिसम्पत्तियाँ ऐसी हैं, जिन पर मूल आवंटि के अतिरिक्त किसी अन्य का कब्जा है, जिनसे किसी अन्य प्रकार की कोई आय नहीं हो रही है। उन आवंटियों को पुनः परिसम्पत्तियाँ आवंटित करते हुए किराया वसूली की जाये, ताकि नगर निगम की आय में वृद्धि हो सके।

अतएव नगर निगम की परिसम्पत्तियाँ, जिन पर वर्तमान में कब्जा है, को तत्काल आवंटित करते हुए किराया वसूल की जाये, ताकि नगर निगम की आय में वृद्धि हो सके, का प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

श्री अशोक पाल, पार्षद वार्ड-36 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना

टैबल प्रस्ताव संख्या-340

कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

..... यदि प्रस्तावित स्थल का पूर्व से कोई नामकरण नहीं है, तो तदनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है, अन्यथा की स्थिति में आख्या अगली नामकरण स्वीकृति प्रस्ताव निम्ना मान करने की कृपा करें।

जाये। महान कृपा होगी। शिक्षा जगत से जुड़े व समाजसेवी होने एवं जनता में उनकी स्मृति को स्थायी बनाये रखने हेतु उपरोक्त सड़क का अवगत करना है कि जोन-2, वार्ड-66 के अन्तर्गत प्याराही देवी मंदिर से पोस्ट ऑफिस रोड का नाम स्वी० हरीप्रसाद मिश्रा मार्ग कर दिया

विषय:- प्याराही देवी मन्दिर से पोस्ट ऑफिस रोड का नाम स्वी० हरी प्रसाद मिश्रा मार्ग किये जाने के सम्बन्ध में

प्रस्तुत है:-

श्री अनुप कुमार शुकला, मा० पार्षद वार्ड-88, बसन्त बिहार जी मा० महापौर जी, द्वारा पृष्ठांकित है, मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ

प्रस्ताव संख्या-339

..... तदनुसार फूलबाग स्थित गणेश उद्यान को समस्त धार्मिक कार्यकर्तों हेतु निःशुल्क आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

वर्तमान समय में फूलबाग में पार्क बन गयी है यदिदास जी का जन्मोत्सव गणेश उद्यान/नानाराव पार्क में निःशुल्क किये जाने की कृपा करें।

.....विधिक राय लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही कराने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या- 341

श्री यशपाल सिंह, पार्षद वार्ड-78 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना

अयोध्यानाथ पार्क सिविल लाइन्स में स्थित है, जिसका यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, उत्तर प्रदेश राज्य शाखा, 15/243, सिविल लाइन्स, कानपुर के नाम से स्वीकृत कराया जाये।

.....तदनुसार नगर आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या- 342

श्री महेन्द्रनाथ शुक्ला, पार्षद, वार्ड-49 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना

श्रीमती सीमा पाण्डेय, अध्यापिका (आउटसोर्सिंग द्वारा) नगर निगम इण्टर कॉलेज, काकादेव, कानपुर नगर में वर्ष 1999-2000 में नगर निगम में नियत वेतन पर नियुक्ति हुई थी। इसके पश्चात् आउटसोर्सिंग से से नगर निगम के काकादेव स्थित विद्यालय में लगातार अध्यापन कार्य कर रही है, वर्तमान में इन्हें वेतन के रूप में 17000/- मासिक दिया जा रहा है।

मेरा प्रस्ताव है कि श्रीमती सीमा पाण्डेय का कार्यकाल अंशकालिक टीचर के लगभग बराबर है तथा लगातार अध्यापन कार्य कर रही है, इसलिये इनका वेतन अंशकालिक अध्यापिकाओं के बराबर करने की कृपा करें, साथ ही भविष्य में होने वाली अंशकालिक अध्यापिकाओं के वेतन वृद्धि का भी इन्हें समान रूप से लाभ मिल सके। कृपया कार्यकारिणी में मेरे प्रस्ताव सं0-3 से सम्बद्ध करने की कृपा करें।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि चूंकि सेवा प्रदाता कम्पनी के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मियों का वेतन सेवा प्रदाता कम्पनी के माध्यम से ही आहरित होता है, इसलिये इस पर नगर निगम द्वारा निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा।

..... नियमानुसार कार्यवाही कराने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया।

श्री विकास जायसवाल, पार्बट, वाड-79 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

भरे वाड-79 बटाई मोहल में स्थित नरीना चौराहा, सागर मार्केट, मूंगियाल भेरी-रेल स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसका नयांजल नाम रखा है।

उसी चौराहे पर "गणेश शंकर विद्यापीठ" जी की मूर्ति स्थापित है। जो देश के सबसे निजर पत्रकार के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे।

जिनोंने अपने पत्रों के माध्यम से कानपुर में वर्ष 1931 में हुये दंगों को रोक जाने हेतु पूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस दौरान उनकी मृत्यु हुई। ऐसे महान क्रांतिकारी नाम सदैव याद रहे।

टैबुल प्रस्ताव संख्या- 344

.....तदनुसार रिक्त पड़ी भूमि पर जायसवाल मित्र समा की सिर्फ डीप-फीजर, शव वाहन, ई-एम्बुलेंस खड़ी करने की अनुमति प्रदान की गयी। स्थल पर कार्यकारिणी समिति को बिना किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

समीप जाह रिक्त है।

अवगत कराय। श्री आर० के० सिंह, अधिशासी अभियन्ता ने अवगत करया कि प्रसंगत स्थल पर बारालयाला का निर्माण कार्य चल रहा है, उसी के

अनुमति ने पूछा कि सन्दर्भित स्थल कि जलकल की भूमि है, ऐसे में शव वाहन खड़ा करने हेतु स्थान रिक्त है अथवा नहीं, से रख जाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

अतएव उक्त शव वाहन, ई-एम्बुलेंस, डीप-फीजर कैनाल रोड, गुजराती स्कूल के सामने पीपल के पेड़ के बगल वाली जाह पर

सकते है।

में कैनाल रोड, गुजराती स्कूल के सामने पीपल के पेड़ के बगल वाली जाह जल-कल नगर निगम की खाली भूमि पर खड़े किये जा

ई-एम्बुलेंस वाहन एवं डीप फीजर क्रय किया गया है, शव वाहन, डी-फीजर, ई-एम्बुलेंस रख जाने हेतु स्थान भरे वाड-79 बटाई मोहल

अवगत कराना है कि जायसवाल मित्र समा कानपुर जो कि एक पंजीकृत संस्था है, संस्था द्वारा जनसेवा हित के लिये शव वाहन,

श्री विकास जायसवाल, पार्बट, वाड-79 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

टैबुल प्रस्ताव संख्या- 343

अतः भूमि गत मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है, स्टेशन का नाम महान क्रांतिकारी "गणेश शंकर विद्यार्थी" के नाम रखे जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

.....तदनुसार नयागंज मेट्रो स्टेशन का नामकरण "गणेश शंकर विद्यार्थी " के नाम किये जाने हेतु आख्या तैयार कर उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या- 345

श्री अरविन्द यादव, पार्षद, वार्ड- 69, द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना

यह प्रकरण लेबर कॉलोनी शास्त्री नगर स्थित नगर निगम की दुकानों से सम्बन्धित है। उपरोक्त में शास्त्री नगर में स्थित ए-ब्लॉक, पुरानी 10 दुकान, बीस दुकान, बी-ब्लॉक सेन्ट्रल पार्क चौराहा, गीता बाजार, सी-ब्लॉक स्थित दुकानों का आवंटन वर्ष 1950 से 1952 के मध्य रूपये 24 प्रतिमाह पर उत्तर प्रदेश किराया नियंत्रण कानून के अन्तर्गत किया गया था, जिसमें 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष में बढ़ोत्तरी का प्राविधान है। सभी दुकानदारों को बिना किसी सूचना के 120 गुना किराया बढ़ोत्तरी कर दी गयी।

अवगत कराना है कि नगर निगम की दुकानों का किराया पूर्व 24 से 50 रूपये प्रतिमाह था, यह कि उपरोक्त किराया सभी दुकानदार किराया देना चाहते हैं। विनम्र निवेदन है कि दुकानों का अत्यधिक बढ़ा किराया उचित ढंग से कम करते हुए कम से कम रू0 400 से 600 रूपये प्रतिमाह अन्यथा जो आप उचित समझकर या आप दुकानदारों के प्रति उचित निर्णय लेते हुए पूर्व निर्धारित किराया वर्ष 2013 तक लिये गये किराये की दर से वर्ष 2021 तक ले लिया जाये।

सभी दुकानदार नगर निगम को किराया देने को तैयार है, अतएव बढ़े किराये में संशोधन की कार्यवाही हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

..... तदनुसार समिति बनाकर निर्णय लिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या- 346

श्री भूपेश अवस्थी, अध्यक्ष, महानगर विकास समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विचार किया जाना

..... तदनुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

असु क्रेपया घाट में किसी स्थान पर टीन शॉड बनाये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

तथा समस्त धर्म समुदाय हेतु समर्पित रहेगा।

श्री मधेश अवस्थी, अध्यक्ष, मगवान परशुराम महासभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना।
कानपुर के शैरोघाट में नगर एवं आस-पास क्षेत्र के निवासी से गंगातट पर अपने प्रियजनों की अन्त्येष्टि हेतु आते हैं, कभी-कभी संख्या की अधिकता के कारण छायादार स्थान नहीं मिल पाता है, जिससे अन्त्येष्टि में कठिनाई होती है। कई संगठनों द्वारा उक्त स्थान पर अपने-अपने शॉड बनाये गये हैं, विभिन्न समुदायों द्वारा भी शॉड का निर्माण कराया गया है। इसी क्रम में मगवान परशुराम महासभा भी आपसे निवेदनशील है कि किसी भी रिक्त स्थान पर टीन शॉड बनाये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। महासभा उक्त शॉड का निर्माण मानक के अत्युत्कृष्ट किया जायेगा।

कायकालिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

..... यदि प्रस्तावित स्थल का पूर्व से कोई नामकरण नहीं है, तो तदनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है, अन्यथा की स्थिति में आख्या अगली

अतः आपसे आग्रह है कि क्रेपया उक्त पार्क का नामकरण "वीरेन्द्र अवस्थी स्मृति उद्यान" करने की कृपा करें।

परित किया है।

योगदान रहा है। ऐसे कर्मठ, निर्मलक सबका दुःखदर्द बाटने वाले स्व० वीरेन्द्र अवस्थी के नाम से पार्क का नामकरण किये जाने का प्रस्ताव समिति ने के पूर्व अध्यक्ष, सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं निराला नगर विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष, यशशोध वीरेन्द्र अवस्थी का अमूल्य पूर्व

उक्त पार्क विकसित करने एवं निराला नगर में अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने में निराला नगर निवासी पूर्व शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक संघ

निवासी पार्क से शुरू एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं।

कि निराला नगर, कानपुर में राम मानस मन्दिर के समीप स्थित पार्क निराला नगर वासियों हेतु निर्मित है तथा वर्ष 1968 से निराला नगर के समस्त क्रेपया महानगर विकास समिति के पत्र दिनांक 18.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उपरोक्त क्रम में ससम्मान अवगत कराना है

श्री अशोक पाल, पार्षद, वार्ड-36 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना

कृपया अवगत कराना है कि जोन-3, वार्ड-36 अन्तर्गत बाबूपुरवा स्थित ज्वाला प्रसाद पार्क के मुख्य गेट के पास लगभग 25-30 वर्षों से सुलभ शौचालय बना है, जो कि जर्जर अवस्था में जीर्ण-शीर्ण है, जिससे आस-पास गन्दगी व्याप्त है, जिससे क्षेत्रीय निवासियों को बदबू एवं दुर्गन्ध का सामना करना पड़ता है। इसे गिराया जाना आवश्यक है।

अतएव जोन-3, वार्ड-36 अन्तर्गत बाबूपुरवा स्थित ज्वाला प्रसाद पार्क मुख्य गेट के पास स्थित जीर्ण-शीर्ण सुलभ शौचालय को गिराये जाने की अनुमति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

..... तदनुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या- 349

श्री अशोक पाल, पार्षद, वार्ड-36 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना

अवगत कराना है जोन-4, वार्ड-42 अन्तर्गत ग्वालटोली में पुलिस आयुक्त शिविर कार्यालय से लेकर तिकोनिया पार्क तक सड़क का नामकरण अभी तक किसी के नाम पर नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि उक्त सड़क का नामकरण स्व0 रमाशंकर पाण्डेय, समाजसेवी के नाम पर किया जाये।

अतएव जोन-4, वार्ड-42 अन्तर्गत पुलिस आयुक्त शिविर कार्यालय से लेकर तिकोनिया पार्क तक सड़क का नामकरण स्व0 रमाशंकर पाण्डेय, समाजसेवी पुत्र स्व0 दूध नाथ पाण्डेय के नाम पर किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

.....तदनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या- 350

श्री अशोक पाल, पार्षद, वार्ड-36 एवं श्री अर्पित यादव, पार्षद, वार्ड- 45 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना

कृपया सम्पत्ति विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रापर्टी डेटा (डिजीटलाइजेशन को-आर्डिनेटर) के पद को प्रतिमाह रू0 15,000/-पारिश्रमिक भुगतान किया जा रहा है, जबकि नगर निगम में ही अमृत योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा द्वारा पत्र दिनांक 02.01. 2017 निर्धारित मानदेय के सापेक्ष रू0 30,000/-प्रतिमाह मानदेय (स्नातक इंजीनियर) को दिया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को मानकर सम्बन्धित विभाग को आदेशित करने का कष्ट करें।

का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।

लाख की राजस्व वृद्धि हो जायेगी। इस प्रस्ताव को पहले भी दिया जा चुका है। जिसमें कि उस समय के माननीय नगर आयुक्त जी द्वारा बारातशाला निगम को प्रत्येक वाहन से लगभग रु० 1000 मासिक शुल्क मिलने लगेगा, जिसका अनुमानित मासिक रु० 30-40 हजार एवं सालाना आय रु० 6-7 उस पार्क में खड़े रखते हैं। जिसके वाहनों की संख्या 40-50 है, अगर उस पार्क को बारातशाला से वाहन पार्किंग बना दिया जाये तो लगभग नगर आबादी होने के कारण संकरी गलियाँ होने के कारण वहाँ की जनता उस पार्क में अपनी-अपनी गलियाँ जैसे-कारे, लोडर, वाहन ठेला आदि वाहन कारण वहाँ पर शालियों का आयाजन किया जाता रहा है, परन्तु गन्दगी होने के कारण वहाँ अब शालियाँ नहीं होती हैं, लेकिन अब क्षेत्र की घनी आपकी अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड-36 मुंशीपुरवा क्षेत्र में एक जर्जर अवस्था में बारातशाला स्थित है जिसका क्षयकाल काफी होने के

श्री अशोक पाल, पार्थद, वार्ड-36 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना

टबुल प्रस्ताव संख्या- 352

स्वीकृति प्रदान की गयी।

..... नानाराव पार्क स्थित नौका विहार के पूर्व निर्धारित किराये में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए नियमानुसार आदतन की कार्यावाही किये जाने की

अतः 10 प्रतिशत बढ़ाते हुये किरायेदारी इनके नाम से पुनः आवंटित कर दी जाये।

नौका विहार एक संख्या- 16 नानाराव पार्क (कम्पनी बाग) दो वर्ष पूर्व से अनुबन्धित थी, जो कि किरायेदारी राकेश कुमार गुप्ता के नाम थी,

श्री यशपाल सिंह, पार्थद, वार्ड-78 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

टबुल प्रस्ताव संख्या- 351

..... तदनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

अतएव उपरोक्तानुसार शैक्षिक अहंता को दृष्टिगत रखते हुये प्रापटी डेटा (डिजीटलाइजेशन को-आर्डिनेटर) को भी स्नातक इंजीनियर की भूमि रु० 30,000/- प्रतिमाह मानदेय दिये जाने हेतु प्रस्ताव मा० कार्याकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतिार्थ प्रेषित है।

सभापति ने पूछा कि प्रश्नगत स्थल में पार्क तो नहीं है।

जोनल अधिकारी श्री राधे श्याम पटेल ने अगवत कराया कि पंडित जगवीर सिंह द्रोण के महापौर के कार्यकाल में प्रश्नगत बारातशाला का निर्माण नगर निगम द्वारा कराते हुए पंडित राजकिशोर त्रिपाठी नगर निगम बारातशाला का लोकार्पण किया गया था, जो पार्क नहीं है।

सभापति ने जोनल अधिकारी जोन-3 को निर्देशित किया कि यदि पार्किंग बनायी जाये तो क्रमांक अंकित करते हुये नाम की पट्टिका अवश्य लगायी जाये, जिससे उस स्थान पर किसी अन्य द्वारा वाहन खड़ा न किया जाये।

..... पंडित राजकिशोर त्रिपाठी नगर निगम बारातशाला में सभापति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नियमानुसार वाहन पार्किंग बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या- 353

श्री अशोक पाल, पार्षद, वार्ड-36 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना

अवगत कराना है कि हमारे वार्ड-36 बगाही, अजीतगंज में बाकरगंज चौराहे से ईदगाह तक डिवाइडर है। मगर डिवाइडर में लाइट न होने के कारण आने-जाने वालो को काफी दिक्कत होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को मानकर उस डिवाइडर में लाइट लगाने की कृपा करें, जिससे क्षेत्र की जनता को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

..... जनहित में तदनुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या- 354

श्री दिनेश तिवारी, पार्षद, वार्ड- 46 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

अवगत कराना है कि वार्ड-46 में जो नमक फ़ैक्टरी चौराहे का नाम बदलकर "महालालेश्वर चौराहा" नाम करने की कृपा करें।

यह कि आपके अथक प्रयास से हमारे महत्वपूर्ण बाई-52-52 शारदा नगर (छोटा लखनपुर) में नवीन पार्क का निर्माण नगर निगम द्वारा विगत माह से सम्पन्न करवाया गया है। हम सभी क्षेत्रीय निवासी व शारदा नगर नागरिक सेवा समिति आपका सहृदय आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करते हैं।

नगर के निवासी हैं।

सादर निवेदन के साथ अनावत कराना चाहते हैं कि हम प्राथमिक "शारदा नगर नागरिक सेवा समिति" शारदा नगर (छोटा लखनपुर) कानपुर

श्री सविन दुबे, अध्यक्ष एवं श्री राजेश मिश्रा, महामंत्री, शारदा नगर नागरिक सेवा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना

टैबल प्रस्ताव संख्या-356

कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

यदि प्रस्तावित स्थल का पूर्व से कोई नामकरण नहीं है, तो तदनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है, अन्यथा की स्थिति में आख्या अगली स्वीकृति प्रस्तुत है।

अतएव मूलगंज टैम्पो स्टैंड स्थित फाउन्टेन का नाम कमला दरियाबादी चौक किये जाने का प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के उसे लाला प्रसाद कमला दरियाबादी स्मारक समिति बहन करेगी।

प्रस्ताव है कि उपरोक्त फाउन्टेन का नाम कमला दरियाबादी चौक कर दिया जाये। चौक स्थित फाउन्टेन के जीर्णोद्धार में जो भी व्यय होगा, संजीव दरियाबादी, पूर्व विधायक द्वारा मूलगंज टैम्पो स्टैंड स्थित फाउन्टेन का निर्माण कराया था, जो कि जीर्णोद्धार अवस्था में है। मंत्र नगर निगम कानपुर की 10 वर्ष पदेन समझौदा भी रही है, इनका कानपुर के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके पुत्र श्री अवगत कराना है श्रीमती कमला दरियाबादी वर्ष 1980 से लेकर 1989 तक सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र से विधायक रही हैं, साथ ही

श्री अमित कुमार मेहरोजा, श्री यशपाल सिंह, श्री धनश्याम गुप्ता, श्री राजीव सेठिया, पार्थव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

टैबल प्रस्ताव संख्या-355

कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

यदि प्रस्तावित स्थल का पूर्व से कोई नामकरण नहीं है, तो तदनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है, अन्यथा की स्थिति में आख्या अगली

यह कि उक्त नवीन पार्क का अभी तक कोई नामकरण नहीं हुआ है इसलिये हम स्थानीय हम स्थानीय निवासी एवं बुद्धिजीवियों का मत है उक्त नवीन पार्क का नामकरण "भगवान परशुराम पार्क" के नाम से हो।

आपसे अनुरोध है कि पार्क का नाम नगर निगम अभिलेखों में "भगवान परशुराम पार्क" अंकित किये जाने हेतु अपनी संस्तुति प्रदान करने की कृपा करें।

.....यदि प्रस्तावित स्थल का पूर्व से कोई नामकरण नहीं है, तो तदनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है, अन्यथा की स्थिति में आख्या अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

टेबुल प्रस्ताव संख्या- 357

श्री नीरज वाजपेई, पार्शद, वार्ड सं०- 64 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

आपको अवगत कराना है कि वार्ड-64 सर्वोदय नगर के अन्तर्गत सोसाइटी धर्मशाला पाण्डु नगर मार्ग का नाम श्रद्धेय गणेश शंकर विद्यार्थी मार्ग रखा जाये, ताकि नगर के इस महान सपूत को उचित सम्मान मिल सके।

..... यदि प्रस्तावित स्थल का पूर्व से कोई नामकरण नहीं है, तो तदनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है, अन्यथा की स्थिति में आख्या अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

टेबुल प्रस्ताव संख्या- 358

श्री नीरज वाजपेई, पार्शद, वार्ड- 64 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

अवगत कराना है कि पाण्डु नगर, कानपुर में लगभग 82 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन निवास करते हैं।

अतः पाण्डु नगर एच-2 डबल पुलिया नवनिर्मित पार्क का नामकरण हेतु प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० शिवशंकर लाल गुप्ता के नाम से प्रस्ताव पास करने का कष्ट करें।

महिलायें बुर्जा, बल्ब सभी खुले में शौच करने को मजबूर है।

वाड-13 पुराना कानपुर जोन-4 के अन्तर्गत तिवारी घाट बस्ती व गंगा एवं धुबियाना बस्ती में सीवर लाइन नहीं पड़ी है, जिसके कारण श्री मदन बाबू पार्क, वाड-13 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

टबुल प्रस्ताव संख्या- 361

सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

कैबिनेट मन्त्री श्री सतीश महाना जी के पिता राम औरार महाना सामुदायिक केंद्र रखने की कृपा करें।
वाड-58 तिवारीपुर के अन्तर्गत जोनके0 कॉलोनी में नगर निगम द्वारा सामुदायिक केंद्र बनवाया गया है। इस सामुदायिक केंद्र का नाम मा0 श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय, पार्क, वाड-58 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

टबुल प्रस्ताव संख्या- 360

अंकित नामों से नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में समिति को गठित करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।
नगर आयुक्त को जोनल अधिकारियों के माध्यम से सड़कों को चिह्नकित (चिह्न पूर्व से कोई नामकरण नहीं है, जो) करते हुए गलिका में के स्वीकृत्य करने का अनुरोध किया।

निवेदन है कि अमृत महोत्सव पर्व आजादी के 75वें वर्ष पर कानपुर महानगर की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लगभग एक सौ बत्तीस के नामों की गलिका को हस्तगत करते हुए तदनुसार अंकित नामों पर कानपुर नगर की विभिन्न सड़कों के नामकरण किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति श्री नीरज राजपूई, पार्क वाड-64 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

टबुल प्रस्ताव संख्या- 359

अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

यदि प्रस्तावित स्थल का पूर्व से कोई नामकरण नहीं है, तो तदनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है, अन्यथा की स्थिति में आख्या

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त बस्ती में सीवर लाइन डालने व सुधार कराने का मा0 कार्यकारिणी से स्वीकृत कराने की कृपा करें, ताकि बस्ती के लोग खुले में शौच से बच्चे व बीमारी से मुक्ति मिल सके।

.....नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या- 362

श्री मदन बाबू, पार्षद, वार्ड- 13, श्री अर्पित यादव, पार्षद, वार्ड-45 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : गंगा बैराज के पास चौराहे का नाम मा0 अटल चौक के सम्बन्ध में।

निवेदन है कि वार्ड नं0- 13 पुराना कानपुर, जोन-4 के अन्तर्गत गंगा बैराज से पहले चौराहें का कोई नाम नहीं है। जिससे गंगा बैराज आने-जाने वालों को परेशानी होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त चौराहे का नाम स्व0 अटल बिहारी वाजपेई, पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम से अटल चौक करने का प्रस्ताव पास कर अटल चौक करने की कृपा करें। उक्त प्रस्ताव मा0 अटल जी को समर्पित होगी।

..... यदि प्रस्तावित स्थल का पूर्व से कोई नामकरण नहीं है, तो तदनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है, अन्यथा की स्थिति में आख्या अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

टेबुल प्रस्ताव संख्या- 363

श्री अर्पित यादव, पार्षद, वार्ड-45 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना

सादर सूचनार्थ है कि प्रस्ताव दे रहा हूँ कि पूर्व पार्षद स्व0 रविकान्त शुक्ला जी का स्वर्गवास दिनांक 03.11.2021 को हो गया था, पूर्व पार्षद जी के घर के ठीक सामने पार्क बना हुआ है, जो कि भवन संख्या- 128/167, के-ब्लाक किदवई नगर के समीप है व उक्त भवन संख्या से जुड़ी सड़क व पार्क का नाम स्व0 रविकान्त शुक्ला जी (पूर्व पार्षद) के नाम से कराने का कष्ट करें।

- 1.पार्क के नामकरण का प्रस्ताव
2. सड़क के नामकरण का प्रस्ताव

निवेदन है कि भूरे वार्ड में एक बारातशाला बनवाने की कृपा करें, जिससे गरीब कन्याओं की शादी विवाह में जकरल मन्दों की मदद हो जायेगी। सनिगावा गांव में बारातशाला बनवायी जाये।

श्री सौरभ तिवारी, पार्बद, वार्ड-62 द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना

टैबुल प्रस्ताव संख्या-366

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

अप्रसारित।

अन्तर्गत शारदानगर में श्री विशाल कुशवाहा के मकान से श्री एस० के० नन्दा तक सारस्वत कौबल वाली एवं नाली के सुधार कार्य की योजना-6 वार्ड-52 अन्तर्गत श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी, पार्बद के पत्र पर नगर आयुक्त द्वारा मा० महापौर जी को अप्रसारित गीतानगर पञ्चवली आगमन पत्रांक क्र० 1900167.00 (उत्तीस लाख एक सौ सारसठ मात्र) मा० कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/स्वीकृतार्थ

टैबुल प्रस्ताव संख्या-365

..... यदि प्रस्ताव मार्ग का पूर्व से कोई नामकरण नहीं है, तो तदनुसार नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पर उनके नाम से प्रवेश द्वारा बनाये जाने का प्रस्ताव मा० सदन के एजेंडे में शामिल कर सदन से स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। आपसे विनम्र निवेदन है कि एम ब्लॉक किदवई नगर में पंजाब नेशनल बैंक के बाल वाली सड़क जो होम्योपैथिक हॉस्पिटल की तरफ जाती है, उस सड़क का नाम स्वतंत्रता सेनानी स्व० रामेश निगम करने व यातायात किस्सी भी तरह से बाधित न होने वाली सड़क बनाकरा आज भी किदवई नगर में निर्वास करता है।

आपको सादर अवगत कराना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० रामेश निगम जी कि किदवई नगर के निवासी थे और

श्री सुनील कर्नाजिया, पार्बद, वार्ड-14 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना

टैबुल प्रस्ताव संख्या-364

..... यदि प्रस्तावित स्थल का पूर्व से कोई नामकरण नहीं है, तो तदनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है, अन्यथा की स्थिति में आख्या अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

सनिगवां गांव में क्रिया घर व एक कमरा बनवाने की कृपा करं, अन्तिम क्रिया के बाद परिवारों को क्रिया करने में मदद मिल सकेगी।

सुलभ शौचालय, गणेशपुर स्वर्ण जयन्ती विस्तार में पार्क के पास निर्माण करवाने की कृपा करें।

.....तदनुसार मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्थलीय निरीक्षण कर आख्या अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

टेबुल प्रस्ताव संख्या- 367

सुश्री कीर्ति अग्निहोत्री, पार्षद, वार्ड-42 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : परमट चौराहा स्व0 पुष्पेन्द्र सिंह यादव (एडवोकेट) उर्फ "पिन्दू यादव" पूर्व अध्यक्ष कानपुर विश्वविद्यालय के नाम किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराते हुये निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव आपके समक्ष प्रेषित कर रही हूँ। कृप्या परमट चौराहा स्व0 पुष्पेन्द्र सिंह यादव छात्र नेता के नाम से कार्यकारिणी में पास करने की कृपा करें।

..... यदि प्रस्तावित स्थल का पूर्व से कोई नामकरण नहीं है, तो तदनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है, अन्यथा की स्थिति में आख्या अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

टेबुल प्रस्ताव संख्या- 368

श्री प्रशान्त शुक्ला, प्रबन्धक, कल्पना सेवा समिति (राष्ट्रीय एकता सद्भावना को समर्पित एक संस्था) 128/241, एच-1 किदवई नगर, कानपुर के पत्र पर श्री यशपाल सिंह, पार्षद, श्री नवीन पंडित, पार्षद श्री दिनेश तिवारी, पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि कल्पना सेवा समिति जो शहर में बस स्टाप बने हुए है, जो टूट-फूट गए कहीं पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। काफी संकरा गंदगी व्याप्त रहती है। जिससे जनता उसका उपयोग नहीं कर पाती है, उनकी देख-रेख व मेन्टीनेन्स का कार्य करना चाहती है।

विषय : दिनांक 11.10.2021 को सम्मन हुई मा10 कार्यकारिणी समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या-332 पर पुनर्विचार किये जाने हेतु।

वार्ड-86, श्री अजय गुप्ता, वार्ड-104 द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

श्री नीरज बाजपेई, पार्थद, वार्ड-84, श्री आनंद त्रिपाठी, पार्थद, वार्ड-84, श्री अरविन्द यादव, पार्थद, वार्ड-89, श्री अमनदीप सिंह गम्भीर, पार्थद,

टैबुल प्रस्ताव संख्या- 370

गया।

.....द्वैक दिनांक 25.04.2016 को सम्मन हुई मा10 कार्यकारिणी समिति द्वारा नामकरण का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है, अतः दिनांक 18.09.2020 को मा10 कार्यकारिणी समिति की बैठक में पारित टैबुल प्रस्ताव संख्या-283 को निरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए मा10 सदन को अभ्यस्तारित किया

आवसायी/सुप्रसिद्ध समाजसेवी स्व0प0 मुरलीधर बाजपेयी (काका) जी के नाम पर बना रहने का आदेश पारित करने का कष्ट करें।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि कोपरगंज चौराहें का नाम हमारे बाबा जी बहूआयामी अखिलेश के धनी रहे प्रलिखित गल्ला

विना रद्द किये दूसरा प्रस्ताव पास किया जा सकता।

2. दिनांक 16.10.2021 को कोई नया प्रस्ताव पास कर दिया गया है। नगर निगम सदन के नियमानुसार किसी चौराहें का प्रस्ताव यदि पास हो चुका हो तो

जी दिनांक 25.04.2016 को कार्यकारिणी की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी।

(काका) जी के नाम पर प्रस्ताव संख्या-1608 पत्रांक सं0-डी/30/मु0310/16-17 दिनांक 20.04.2016 को नगर निगम कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित हुआ था
1. सविनय निवेदन है कि कोपरगंज चौराहें का नाम बहूआयामी अखिलेश के धनी रहे प्रलिखित गल्ला आवसायी/सुप्रसिद्ध समाजसेवी पं0 मुरलीधर बाजपेयी

किया जाना

श्री अश्वेश बाजपेयी, अध्यक्ष दि किराना मर्चन्ट्स एसोसिएशन (रजि0), कानपुर द्वारा प्रस्तुत एवं मा10 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार

टैबुल प्रस्ताव संख्या- 369

.....तदनुसार नगर निगम के नियम व शर्तों सहित वर्तमान सिकिल रेट पर 05 बस-स्टॉप सिर्फ रख-रखाव करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

सर्वसम्मत से पास करने की कृपा करें।

अतः महापौरा जी से निवेदन है कि कल्पना सेवा समिति को बस स्टॉपों की देख-रेख व मंटीनेन्स का कार्य देने का प्रस्ताव कार्यकारिणी से

आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना है कि उपरोक्त तिथि को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में पारित टेबुल प्रस्ताव संख्या- 332 पर पुर्नविचार किया जाना न्यायसंगत एवं नगर निगम हित में होगा।

अतः आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करना है कि उस चर्चा कराकर पुर्न विचार करने की कृपा करें।

.....उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश एवं नगर निगम राजस्व हित में नगर आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या- 371

नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने मा0 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 147 बजट के पुनरीक्षित तखमीने "माननीय कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक 11 अक्तूबर 2021 को पारित किये जा चुके हैं। विकास एवं अन्य अनुरक्षण कार्य तीव्र गति से किये जाने के समय समय पर शासन के निर्देशों के क्रम में विकास कार्यों से सम्बन्धित मदों में पुनरीक्षित बजट में आवंटित बजट धनराशि पूर्ण रूप से व्यय हो चुके हैं या होने की स्थिति में हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु लगभग 03 माह 20 दिवस अभी भी अवशेष है, इसलिये पारित पुनरीक्षित बजट के निम्नलिखित मदों में बजट की धनराशि पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता है। तदनुक्रम में व्यय पक्ष के पुनरीक्षित मद निम्नवत प्रस्तुत हैं :-

		व्यय पक्ष	धनराशि लाख में		
क्रमांक	मदशीर्षक	मद का नाम	पुनरीक्षित बजट की धनराशि	07 दिसम्बर तक वास्तविक व्यय	पुनः पुनरीक्षित बजट की धनराशि
1	2201103	आउटसोर्स केयरटेकर,कम्प्यूटर,उद्यान	1100.00	906.65	1150.00
2	2206001	अतिथि सत्कार	100.00	68.47	140.00
3	2206003	कार्यक्रम आयोजन	35.00	27.35	45.00
4	2301001	डीजल एवं गैस	1100.00	1092.19	1500.00
5	2301002	डीजल एवं गैस (सफाई/एसडब्ल्यूएम)	2000.00	1584.35	2400.00

समापति ने कहा कि मूर्तियों के रख-रखाव हेतु पूर्व में 6 लाख की धनराशि स्वीकृत थी, तो इस मद् में कितनी धनराशि व्यय हुई और कितनी शेष है, अभाव करायें ? पूर्व में मूर्तियों के रख-रखाव के लखनीयों में वृद्धि की जा रही है, तो भंग सुझाव है कि मूर्तियों के रख-रखाव हेतु जोनल अधिकारी को अधिकृत किया जाय।

6	2303002	भुदर - विद्युत सामग्री	50.00	41.82	75.00
7	2303003	भुदर - स्वास्थ्य सामग्री	350.00	221.78	450.00
8	2305001	सड़क मरम्मत	2800.00	2735.62	3300.00
9	2305003	नाला/नाली अवरक्षण	900.00	846.75	1000.00
10	2305004	घातघात अवरक्षण	75.00	73.87	100.00
11	2305006	सड़क मरम्मत (उद्योग अर्थ)	1500.00	1321.03	1600.00
12	2305111	सांस्कृतिक शौचालय का रख रखाव	100.00	99.53	200.00
13	2305112	शिक्षण संस्थानों एवं छात्रावासों का अर्थ	8.00	7.93	28.00
14	2305201	कार्यालय भवनों का रख रखाव	300.00	295.78	400.00
15	2305202	अन्य भवनों का रख रखाव	300.00	299.11	400.00
16	2305301	वाहनों की वाही मरम्मत	200.00	201.51	300.00
17	2305304	वाहन सामग्रियों का रख रखाव (सफाई/एसडब्ल्यूएम)	225.00	254.30	375.00
18	2305907	मूर्तियों का रख रखाव	6.00	5.60	16.00
19	2308007	अन्य अवरक्षण	600.00	597.25	700.00
20	4103301	सांस्कृतिक प्रकाश-खर्च एवं वार	300.00	190.62	500.00
21	4106001	कार्यालय उपकरणों का क्रय	25.00	24.96	35.00

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि बजट में मूर्तियों के रख-रखाव हेतु ₹0 06.00 लाख का प्रावधान था, जिसमें से ₹0 5.60 लाख व्यय हो चुका है, अभी वित्तीय वर्ष समाप्त होने में लगभग 04 माह शेष है, जिसके दृष्टिगत उक्त मद में धनराशि बढ़ायी गयी है।

सभापति ने कहा कि कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित समस्त महापुरुषों की मूर्तियों की मरम्मत व रंगाई-पुताई कब-कब और कहाँ-कहाँ कराई गयी विवरण प्रस्तुत किया जाये तथा मूर्तियों के रख-रखाव एवं प्रत्येक 15 दिवस में मूर्तियों की सफाई हेतु जोनल अधिकारी के माध्यम से कार्य कराये जाये, यदि ऐसा नहीं होता है तो उक्त मद के बजट को पुनरीक्षित किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

.....तदनुसार सर्वसम्मति से क्रमांक-18 में सभापति के व्यवतव्य के साथ पुनरीक्षित व्यय के संशोधित तखमीनों को स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या- 372

श्री सुनील कनौजिया, पार्षद, वार्ड- 14 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 डॉ0 रमेश निगम के नाम पर त्रिवेणी मार्केट से होम्योपैथ अस्पताल तक एम0 ब्लॉक, किदवई नगर तक जाने वाली सड़क का नाम स्व0 रमेश निगम मार्ग व यातायात बाधित न होने वाली सड़क पर प्रवेश द्वार बनाये जाने की मांग

आपको सादर निवेदन करता हूँ कि उपरोक्त विषय को कार्यकारिणी एजेण्डे में प्रस्ताव को शामिल करा कर स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

.....मा0 न्यायालय के निर्णय के आलोक तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के क्रम में कार्यवाही करायी जाये।

टेबुल प्रस्ताव सं0- 373

श्री मो0 आमिर, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं 06 कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

विषय :- मेरे वार्ड-59 जोन-4 के अन्तर्गत पड़ने वाले "नगर निगम कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार के बगल में खाली पड़ी भूमि पर लावारिश लाशों के क्रिया कर्म करने हेतु रोड बनाये जाने व उसके संचालन व देखरेख हेतु "जन कल्याण ग्रामोद्योग सेवा संस्थान" नाम की संस्था को दिये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि मेरे वार्ड-59 जोन-4 के अन्तर्गत पड़ने वाले नगर निगम के स्वामित्व वाले कब्रिस्तान में आये दिन अवैध कब्जे होते रहते हैं। जिसकी वजह से आये दिन नगर निगम को अतिक्रमण अभियान चलाना पड़ता है। उक्त कब्रिस्तान में व्यवस्था काफी खराब है। वहाँ पर गन्दगी भी काफी रहती है।

उक्त स्थितियों को देखते हुये यदि उक्त कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार के बगल में खाली पड़ी भूमि पर लावारिश लाशों के क्रिया कर्म की पूर्ण करने हेतु एक शंल बना दिया जाये तथा कब्रिस्तान में आने वाले लोगों को बैठने हेतु बेंचों की व्यवस्था तथा प्वाल (पानी की टंकी) आदि किया जाना अति आवश्यक है।

अतः आपसे मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष सादर अनुरोध है कि जनहित में उक्त नगर निगम कब्रिस्तान में लावारिश लाशों के क्रिया कर्म की रस्मों व दैवारियों को करने हेतु शंल की व्यवस्था तथा कब्रिस्तान की साफ-सफाई व उसके संचालन व देखरेख हेतु "पर्येषकाशी संस्था जन कल्याण ग्रामोद्योग संघा संस्थान, शंम नगर" को दिये जाने का आदेश पारित करने का कष्ट करें। संस्था उक्त कार्य निःशुल्क करेगी तथा ऐसे कार्य करेगी जिससे नगर निगम एवं संस्था की आम जनता में प्रसंशा हो। जनहित में उक्त प्रस्ताव को पारित किया जाना अति आवश्यक है।

तदनुसार स्थलीय निरीक्षण कराते हुए नगर आयुक्त को आवश्यक कार्यावृत्ति करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

टंकुल प्रस्ताव सं०- 374

श्रीमती शाहीन खान, पारद द्वारा प्रस्तुत एवं 06 कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

विषय :- जोन-3 वार्ड-102 के अन्तर्गत इंदगाह बगही गेट के सामने, बगही में बने चौक का नामकरण "स्व० शहरकाजी मौलाना रियाज अहमद हशमती" के नाम पर किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत करना है कि जोन-3 वार्ड-102 के अन्तर्गत इंदगाह बगही के गेट के सामने बने चौक का नाम वहीं पर निवास करने वाले "शहरकाजी स्व० मौलाना रियाज अहमद हशमती" के नाम पर किये जाने की माँग आम क्षेत्रीय जनता के द्वारा काफी समय से की जाती रही है।

यहाँ पर यह भी विदित हो कि स्व० शहरकाजी मौलाना रियाज हशमती जी के द्वारा समाज के शैक्षिक व सामाजिक स्तर में सुधार लाने के लिये निरन्तर प्रयास करते रहते थे। काफी गरीब बच्चों को अपने खर्चे पर शिक्षा दिलाने तथा गरीब कन्याओं की प्रत्येक वर्ष काफी बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह आयोजन कराते थे। गरीब व कमजोर लोगों में जो लोग बीमार होते थे, उन्हें निरन्तर इलाज की व्यवस्था कराते थे।

अतः मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष आपसे पुनः सादर अनुरोध है कि जनहित में उक्त चौक का नामकरण "स्व० शहरकाजी मौलाना रियाज अहमद हशमती" के नाम किये जाने हेतु आदेश पारित करने का कष्ट करें

यदि प्रस्तावित स्थल का पूर्व से कोई नामकरण नहीं है, तो तदनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है, अन्यथा की स्थिति में आख्या अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

टेबुल प्रस्ताव सं०- 375

श्री अमित कुमार मेहरोत्रा द्वारा प्रस्तुत एवं 05 अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

विषय :- मिनी नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में।

आपको सादर अवगत कराना है कि वार्ड-76 हरबंश मोहाल क्षेत्र में लक्ष्मण पार्क नलकूप खराब हो चुका है। अतः आपसे अनुरोध है कि पेयजल संकट को दूर करने के लिये जनहित में मिनी नलकूप लगवाने की कृपा करें।

.....नियमानुसार नलकूप की मरम्मत कराये जाने हेतु आगणन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव सं०- 376

श्री अमित कुमार मेहरोत्रा द्वारा प्रस्तुत एवं 05 अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

विषय :- वार्ड ऑफिस के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में।

आपको सादर अवगत कराना है कि वार्ड-76 हरबंश मोहाल क्षेत्र का वार्ड ऑफिस क्षतिग्रस्त, कई बार अवगत कराया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्योंकि हमारे क्षेत्र के कर्मचारीगण उसी क्षतिग्रस्त ऑफिस में बैठकर कार्य करते हैं, कोई घटना घटित होने से पहले उस ऑफिस का जीर्णोद्धार करवाने की कृपा करें।

.....स्थलीय निरीक्षण कर आगणन प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव सं०-377

श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

सादर अवगत हो कि वार्ड-63 के अन्तर्गत पाँच नये पार्को का निर्माण हुआ है, जिनका नगर निगम कार्यकारिणी से स्वीकृति कराने का कष्ट करें।

1. श्रद्धेय अटल पार्क गंगापुर कालोनी

अतः इनकी विगत 10-12 वर्षों की शैक्षिक सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुये रूपया 40000/- हजार प्रतिमाह किया जाये।

कावेतनमान क्रमशः 17000/- एवं 15000/- हजार निर्धारित है, जो कि कानपुर नगर निगम वर्युथ श्रेणी कर्मचारी से भी कम है।

कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित विभिन्न उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालयों में आउट सीटिंग के माध्यम से प्रवक्ता/सहायक अध्यापिका पद पर कार्यरत शिक्षिकाओं का वेतनमान क्रमशः 17000/- एवं 15000/- हजार निर्धारित है, जो कि कानपुर नगर निगम वर्युथ श्रेणी कर्मचारी से भी कम है।

श्री अमनदीप सिंह गम्भीर द्वारा प्रस्तुत एवं 04 अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

टैबुल प्रस्ताव सं०- 379

.....स्वतीय निरीक्षण कर आगमन प्रस्तुत किसे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसका सुन्दरीकरण व वही पर बने नगर निगम कार्यालय, जो कमी भी निर सकेला है, उसकी मरम्मत कराने की कृपा करें।

आपको अवगत करना है कि कार्यकारिणी की कार्य स्थली तथा विद्यार्थी जी के कार्य क्षेत्र गणेश शंकर पार्क जर्जर व अव्यवस्थित अवस्था में है, अतः

विषय :- गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क का सुन्दरीकरण एवं वही स्थित बाई कार्यालय की मरम्मत कार्य।

श्री दीपक शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

टैबुल प्रस्ताव सं०- 378

सामिति की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

.....यदि प्रस्तावित स्थल का पूर्व से कोई नामकरण नहीं है, तो तदनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है, अन्यथा की स्थिति में आख्या आगली कार्यकारिणी

महापौर जी से आग्रह है कि उक्त सभी पार्कों का नामकरण नगर निगम कार्यकारिणी से स्वीकृति कराने का कष्ट करें।

उक्त पार्कों के नामकरण में क्षेत्रीय जनमानस से चर्चा करके पार्कों का नामकरण हुआ है किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः

2. पं० चन्द्रशेखर तिवारी आजाद पार्क गंगापूर कालोनी
3. देवी पार्वती पार्क गंगापूर कालोनी
4. केशव बाटिका पार्क गंगापूर कालोनी
5. शहीद पार्क गंगापूर कालोनी

..... नियमानुसार कार्यवाही कराने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव सं०- 380

श्री राजीव सेतिया, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

विषय :- श्याम नगर सब्जी मण्डी को नगर निगम द्वारा बनाये गये चबूतरे में शिफ्ट करना तथा महिलाओं के लिये शौचालय बनाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि श्याम नगर सब्जी मण्डी के 08 साल पूर्व नगर निगम द्वारा चबूतरे बना दिये गये थे, परन्तु अभी तक सब्जी मण्डी को चबूतरो में शिफ्ट नहीं हुई है। अतः उनको चबूतरों में शिफ्ट किया जाये तथा वहाँ आने वाले लोगो के लिये एक शौचालय बना दिया जाये।

.....तदनुसार यथानियम कार्यवाही कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव सं०- 381

श्रीमती नमिता मिश्रा, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

विषय :- बनारसी मिष्ठान से कोका कोला चौराहा तक नई पेयजल की पाइप लाइन डालने हेतु।

आपको अवगत कराना है कि इस लाइन में 1965 के आस पास पुरानी पाइप लाइन पड़ी थी, जो सड़कर क्षतिग्रस्त हो गई है। अक्सर गंदा पानी आने लगता है एक बार इसका टैंडर हुआ था, फिर कैंसिल हो गया था, पंद्रहवें वित्त आयोग से करवाने की कृपा करे ताकि किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी कोरोना काल में फैल न सके, जनहित में आवश्यक कार्य है।

.....स्थलीय निरीक्षण कर आगणन प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव सं०-382

श्रीमती नमिता मिश्रा, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

विषय :- 111/1 संतलाल हाते में सीवर लाईन बनवाने हेतु।

1. भूमिल पर गरीबों हेतु "अमा-भोजनालय" का निर्माण।
 2. प्रथम तल पर पुस्तकालय का निर्माण।
- कंपना इस भूमि के उपयोग हेतु उपभोक्तागुप्तार प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति/निर्णय हेतु प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत है।

नगर आयुक्ता द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना।

नगर निगम मुख्यालय, मौलीझील में नव निर्माणार्थीन सम्भार के बाल में अतिक्रमण हटाने के पश्चात् रिक्त भूमि पर निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है :-

देबल प्रस्ताव सं०-384

यदि प्रस्तावित स्थल का पूर्व से कोई नामकरण नहीं है, तो तदनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है, अन्यथा की स्थिति में आख्या अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

दिया जाये।

राष्ट्रपति का जमाने में वा देश आजाद करने में उनका सहयोग था, उनका निवास इसी मार्ग पर 11/38, है, उनका परिवार आज भी रहता है, नामकरण कर कानिकाशी सुरेन्द्र पाण्डेय जो कि शहीद भगत सिंह के लाहौर षडयंत्र केस में व अन्य में 15 वर्ष जे में रहें हैं, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उनको जाने कि आपकी अवगत करना है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव चल रहा है। अतः कार्यकारिणी सदस्यों व अध्यक्षों से गुजारिश है कि विषय : 111/25 से 111/42 ललित कला एकेडमी जी०टी०रोड अमर जवान समर्क मार्ग का नामकरण कानिकाशी सुरेन्द्र पाण्डेय के नाम पर करने हेतु।

श्रीमती नमिता मिश्रा, पार्सद, बार्ड-37 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

देबल प्रस्ताव सं०-383

स्थानीय निरीक्षण करके तदनुसार नगर आयुक्ता को कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

के जीवन स्तर में सुधार होगा।

आपकी अवगत करना है कि 111/1 में संतलाल का हॉल है इस हॉल में सीवर लाइन पड़ जाये तो गंदगी कम होगी व वहाँ रह रहे जनमानस में सरकार का संदेश भी अच्छा जायेगा व लोगों 600-700 है 95% मलिन बस्ती के है यदि सीवर लाइन पड़ जाये तो गंदगी कम होगी व वहाँ रह रहे जनमानस में सरकार का संदेश भी अच्छा जायेगा व लोगों

सभापति ने कहा कि भू-तल में पार्किंग बनायी जाये, भूमि तल पर "अम्मा भोजनालय" एवं प्रथम तल पर नगर निगम के इधर-उधर पड़े रिकार्ड को संरक्षित करने हेतु रिकार्ड रूम एवं द्वितीय तल पर नगर निगम पुस्तकालय बनाया जाये, साथ ही कानपुर विकास प्राधिकरण की भौति नगर निगम मुख्यालय स्थित कार्यालयों को भी कारपोरेट ऑफिस की भौति स्मार्ट सिटी से बनाया जाये।

..... तदनुसार भू-तल में पार्किंग बनायी जाये, भूमि तल पर "अम्मा भोजनालय" एवं प्रथम तल पर नगर निगम के इधर-उधर पड़े रिकार्ड को संरक्षित करने हेतु रिकार्ड रूम एवं द्वितीय तल पर नगर निगम पुस्तकालय बनाया जाये।

टेबुल प्रस्ताव सं०-385

नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विगत सदन की बैठक में विज्ञापन नियमावली के सम्बन्ध में आपत्तियों के निस्तारण हेतु समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया था, तदनुक्रम में गठित समिति ने आपत्तियों प्राप्त कर तदनुसार निस्तारण करते हुए विज्ञापन नियमावली को पुनः कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत करते हुए सदन को अग्रसारित करने हेतु निम्नवत प्रस्तुत किया गया :-



नगर निगम कानपुर

प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) की धारा-305, 306, 452 एवं 541(41) (42) (48) में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत कानपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियन्त्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली हेतु अधिनियम की

- धारा-542 के अन्तर्गत प्रस्तावित 'कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञापित शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020' का निम्नानुसार मासुद्धि विचार करमा10 कार्यकारिणी समिति/सदन के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :-
- 'कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञापित शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020'**
- संक्षिप्त नाम, 1- यह उपविधि कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञापित शुल्क निर्धारण और वसूली) विस्तार और प्रारम्भ
- परिभाषाएं 2- (1) यह मजद में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रयुक्त होगी।
(2) इसका विस्तार नगर निगम कानपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।
(3) यह मजद में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रयुक्त होगी।
(1) यह तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में-
- (1) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से है।
- (2) "विज्ञापन" (advertisement) से तात्पर्य है दीर्घायुक्त (illumination) अथवा दीर्घादीन कोई ऐसा शब्द, वर्ण, नमूना (model), चिन्ह (sign) फलक (placed board), नीस, यंत्र (device) अथवा प्रतिरूप (representation) जो विज्ञापन, घोषणा (announcement) या निर्देश (direction) के प्रकार (nature) का हो और उन्हीं प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या अंशतः प्रयुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी तख्ती (hoarding) तथा इसी प्रकार के अन्य ढाँचे (structure) हैं जो या तो विज्ञापन के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त होते हैं या जो इस प्रकार प्रयुक्त किये जाने के लिए अनुकूलित कर लिये गये हैं।
- (2) "विज्ञापनकर्ता" का तात्पर्य ऐसी फर्म, एजेंसी, संस्था, कम्पनी, (पंजीकृत/अपजीकृत) साठन से है जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट, फलक, डिजिटल/विद्युत पट्ट अथवा उपकरण परिनियमित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाते, विपकृत, लिखते, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अधिकार, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और मूँष तथा मयन का स्वामी भी सम्मिलित है।
- (3) "विज्ञापन प्रतीक" का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति या संरचना या किसी मयन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या मूँषि या चिह्नमै ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टान्त अनुप्रयुक्त हो और जो ह्रायों के बाहर किसी भी शीति जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और व्यक्ति लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना से है
- (4) "आकाश चिन्ह" से तात्पर्य है कोई शब्द, वर्ण, नमूना चिह्नयुक्त या अन्य प्रतिक्रम, जो विज्ञापन घोषणा या निर्देश के रूप में हो और जो किसी मयन या ढाँचे पर उसके पूर्णतः या अंशतः किसी खम्बे, बन्ती, ध्वजदण्ड, चौखट या अन्य किसी अवलम्ब के सहारे रखा हुआ हो या उससे संलग्न हो और जो किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान को किसी भी स्थान से पूर्णतः या अंशतः

आकाश पर दिखायी देता हो,

- (5) "गुब्बारा" का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो,
- (6) "पताका" (बैनर) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य आधार से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं,
- (7) "पताका विज्ञापन" का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी पताका का उपयोग कर रहा हो,
- (8) "समिति" का तात्पर्य नियम-3 के अधीन गठित स्थल चयन समिति से है,
- (9) "निगम" का तात्पर्य कानपुर नगर निगम से है,
- (10) "विद्युतीय प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज-सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं,
- (11) "गैन्ट्री विज्ञापन" का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है,
- (12) "भू-विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो,
- (13) "प्रदीप्त प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो,
- (14) "शामियाना विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो,
- (15) "प्रक्षेपित प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो,
- (16) "मार्ग अधिकार" का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है,

- (17) "छत विज्ञान" का तात्पर्य ऐसे विज्ञान से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हो या रखा गया है जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञान सम्मिलित है,
- (18) "अनुसूची" का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है,
- (19) "बस साधना" (शेडर) पर विज्ञान" का तात्पर्य किसी बस संचालन के अर्धिन बस साधन के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टर्गों गये, अथवा चित्रित किये गये विज्ञान प्रतीक से है,
- (20) "पुष्प पात्र (फ्लोवर पॉट) स्टैंड विज्ञान" का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडर्स पर अथवा सड़क/फुटपाथ के आन्तम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे लगाने के पर्याप्त फ्लोवर पॉट स्टैंड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञान पट्टे लगाने जान से है,
- (21) "जनसुविधा स्थान पर विज्ञान" का तात्पर्य ऐसे विज्ञान से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा उसके भीतर किसी भी शीति से लगाये गये विज्ञान से है,
- (22) "ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आइडलैण्ड पर विज्ञान" का तात्पर्य ऐसे विज्ञान प्रतीक से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आइडलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए,
- (23) "प्रतीक संरचना" का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो,
- (24) "अस्थायी विज्ञान" का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए बाँधित किसी विज्ञान प्रतीक, झण्डा या बन्स, कैनवस, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढाँचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञान युक्ति से है,
- (25) "अनुशासक " का तात्पर्य अधिनियम की धारा-452 में निर्दिष्ट विज्ञान युक्त से है,
- (26) "ट्री गाई विज्ञान" का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडर्स पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अंतिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पर्याप्त ट्री गाई पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञान प्रतीक से है,
- (27) "बरांडा प्रतीक" का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये विज्ञान से है,
- (28) "दीवार प्रतीक" का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञान से है जो किसी भवन की बाह्य सतह या उसके

संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो,

- (29) "डिजीटल स्क्रीन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट से है जिससे कि डिजिटल तकनीक अथवा विद्युत उपकरण के माध्यम से फ्लैक्स, के माध्यम से एक से एकाधिक विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकते हों,
- (30) "मैदान" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की खुली भूमि, पार्क अथवा खेल के मैदान आदि से है।
- (31) "प्रीमियम" का तात्पर्य निविदा में किसी स्थल पर विज्ञापन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु दी जाने वाली निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के अतिरिक्त विज्ञापनकर्ता द्वारा प्रस्तावित धनराशि से है।
- (32) "प्रचार वाहन/ बस पर विज्ञापन" का तात्पर्य विज्ञापन हेतु प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट वाहन (जैसे- एल०ई०डी० वैन, ई-रिक्शा, आटों रिक्शा) एवं अन्य मोटर चलित वाहन।
- (33) "सांकेतिक पट" का तात्पर्य सार्वजनिक स्थलों या निजी भूमि पर लगे ऐसे विज्ञापन जिनसे किसी विशिष्ट स्थल/संस्था या फिर किसी दिशाका संकेत होता हो
- (34) "सिनेमा विज्ञापन" का तात्पर्य सिनेमा में स्क्रीन पर विज्ञापन जिसमें स्लाइड और विज्ञापन फिल्म सम्मिलित है। (चलचित्र विज्ञापन)
- (35) "अभिनव विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे आउटडोर मीडिया डिवाइस जो आउटडोर मीडिया डिवाइस के प्रारूप में परिभाषित नहीं हैं और जो प्रतिषेध में से नहीं हैं। को अभिनव विज्ञापन के रूप में विचार किया जायेगा।
- (36) "सड़क यातायात चिन्ह" का तात्पर्य ऐसा कोई सड़क यातायात चिन्ह और यातायात संकेतक जो भारतीय सड़क प्राधिकरण या किसी ऐसे लागू अधिनियम/नियम में अनुध्यात है।
- (37) इलेक्ट्रानिक दृश्य प्रदर्शन का तात्पर्य ऐसे अनौपचारिक रूप से एक स्क्रीन, एक स्थायी रिकार्ड बनाने के बिना, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रसारित छवियों, पाठ या वीडियो की प्रस्तुति के लिए एक प्रदर्शन उपकरण है से है जिसमें टेलीविजन सेट, कम्प्यूटर मानिटर और डिजिटल साइनेज शामिल है।
- (2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।

नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त अथवा मार सहायक अधिकारी की अध्यक्षता में विज्ञापन या विज्ञापन पट्टे के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके प्रकार,आकार, ऊँचाई, दिशा और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए कानपुर नगर निगम में एक समिति का गठन किया जायेगा.

(1)

3-

स्थल चयन के
लिखे समिति का
गठन

समिति में निम्नलिखित होंगे-

(2)

- (1) नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त, नगर निगम ,
- (2) मुख्य अभियन्ता, नगर निगम ,
- (3) सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण ,
- (4) परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,(जहाँ स्थल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सम्बन्धित हो)
- (5) अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग तथा देलवे का प्रतिनिधि,(जहाँ स्थल लोक निर्माण विभाग अथवा देलवे से सम्बन्धित हो)
- (6) नगर का यातायात का प्रभासी राजपत्रित अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग)
- (7) क्षेत्रीय प्रबन्धक, उडOR राज्य सड़क परिवहन निगम,(जहाँ स्थल बस स्टेशन के आसपास के सम्बन्ध में हो)
- (8) जो अधिशासी अभियन्ता की श्रेणी से निम्न न निगम का यातायात अभियन्ता या कोई अधिकारी प्रतिनिधि
- (9) कार्यालय स्टाई सिटी द्वारा नामित जनक
- (10) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी
- (11) प्रभासी अधिकारी(विज्ञापन)

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य/सदस्य

- (3) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा दी जाएगी। नगर निगम सीमान्तर्गत चयनित स्थलों की सूची को समिति के सदस्यों के समक्ष उपलब्ध कराये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर सदस्यों द्वारा अपनी आपत्ति/सुझाव दिया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा की दशा में स्थल चयन की कार्यवाही निस्तारित कर दी जायेगी। यदि किसी चयनित स्थल पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है तो चयनित स्थल को समाप्त करने/प्रकार परिवर्तित करने की शक्ति नगर आयुक्त में निहित होगी। सदस्य सचिव द्वारा नगर आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर समस्त सदस्यों को स्थल की सूची प्रेषित की जाएगी। जब भी किसी नवीन स्थलों का चयन किया जायेगा, पुनः यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

उपरोक्त समिति द्वारा चिन्हित स्थल पर ही विज्ञापन किया जायेगा।

(4)

प्रतिषेध

4—

(1)

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम-1959 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नगर आयुक्तया नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक भूमि, भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या

विज्ञानकर्ता/विज्ञान एजेन्सी को पंजीकरण हेतु रु 50,000/-(पचास हजार) पंजीकरण शुल्क एवं रु. 2,00,000/-(दो लाख) धरोहर धरणीही जमा करना अनिवार्य होगा।

कानपुर नगर निगम में पंजीकृत विज्ञान एजेन्सीयाँ ही विज्ञान हेतु अनुमत्य होंगी। अगले वित्तीय वर्ष के लिये नवीनीकरण की प्रक्रिया 31 मार्च के पूर्व ही पूर्ण करना अनिवार्य होगा जो नवीन वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल से प्रभावी होंगी।

कॉर्डे भी विज्ञान को काबू मारत सकार एवं राज्य सरकार के द्वारा निर्देशों के विपरीत नहीं किया जाएगा। विज्ञान कानपुर नगर निगम द्वारा अनुमोदित स्थलों पर ही किया जाएगा।

प्रदर्शित किये जाने के पूर्व (गुनाव/निर्वाचन की अवधि को छोड़कर) नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे नगर निगम सीमा क्षेत्र में विभिन्न राजनैतिक दलों/संगठनों के द्वारा किसी भी प्रकार से विज्ञान/प्रचार/बधाई सन्देश आदि

बैनर, बाल पीन्टिंग, पोस्टर के माध्यम से (किसी भी शैली में) विज्ञान करना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

प्रेस कॉर्डे विज्ञानकर्ता या संस्था जिस पर नगर निगम/जल संस्थान/कानपुर स्पोर्ट्स सिटी को कोई अवरोध देना है। जायेगा या न लटकया जायेगा।

प्रदर्शित करा जायेगा, न संप्रदर्शित करा जायेगा, न विपकया जायेगा, न लगाया जायेगा, न लिखा जायेगा, न चित्रित किया जायेगा या न लटकया जायेगा।

राष्ट्रीय/राज्य संप्रदागत, नेशनल पार्क, धार्मिक स्थल एवं ऐतिहासिक स्थलों पर विज्ञानप्रदर्शन तो प्रतिनिधित्व करा जायेगा न संप्रदर्शित करा जायेगा, न संप्रदर्शित करा जायेगा, न विपकया जायेगा, न लगाया जायेगा, न लिखा जायेगा, न चित्रित किया जायेगा या न लटकया जायेगा।

कोई विज्ञान प्रदर्शन इस शैली से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अथवा एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई बाधा उत्पन्न करे।

मार्ग से दृश्य ही अथवा सांकेतिक रूप से दृश्य ही। न लिखने, न चित्रित करने या न लटकाने देना और न सुनाने देना यदि ऐसा विज्ञान किसी सांकेतिक स्थान या सांकेतिक स्थान को ऐसे भवन या भूमि पर भूमि पर कोई विज्ञान प्रतिनिधित्व करने देना, न प्रदर्शित, न संप्रदर्शित, न लिखने, न विपकाने, न संप्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा, न लटकयेगा, सुनायेगा और न ही किसी आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञान न तो प्रतिनिधित्व करेगा, न प्रदर्शित नगर निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन को स्वामी, अस्थासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर

विपकयेगा न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकयेगा।

सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञान होने का आभास हो, न तो प्रतिनिधित्व करेगा न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न

विज्ञानकर्ताओं का 5-
पंजीकरण एवं
नवीनीकरण

(2)

(1)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया 6-

- (3) पंजीकरण अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र-1 में किया जायेगा, जिसे रु0 1000/-+ (जी0एस0टी0) भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है, तथापि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) पंजीकरण हेतु नियम व शर्तें निर्धारित करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।
- (1) समिति द्वारा परिलक्षित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रत्येक स्थल/स्थल समूहों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल/स्थल समूहके सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम प्रीमियम धनराशिविनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (क) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन हेतु अनुसूची-दमें विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जाएगा जिसे रु. 500/- + (जी0एस0टी0) या स्थल समूहों की स्थिति में प्रति ईकाई 500/-+ (जी0एस0टी0) का भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- (ख) मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।
- (ग) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित धनराशि का 25 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक जो लेखाधिकारी नगर निगम के पक्ष में देय हो संलग्न करनी होगी। शेष धनराशि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् नगर आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के अंदर जमा करनी होगी।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना, ऐसी भूमि के स्थल नक्शा (जो कि निर्धारित नक्शों के प्रारूप- 'क' के अनुरूप हो) सहित निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना या लटकाया जाना वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी जो नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जायेगी
- (क) प्रत्येक भू-विज्ञापन पट्ट की भूमितल से ऊँचाई, अवस्थिति, ढाँचे की बनावट आदि की विशिष्टियों को स्थल चयन समिति द्वारा तय किया जायेगा।

- (1) उपनिषद् 6 (क) में निर्दिष्ट मूँषि या भवन के प्रत्येक स्वामी को लिखित रूप में वचनपत्र देना होगा कि किसी व्यक्ति को स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय अज्ञात श्रृंखला का भूगतान करने के लिये दायी होगा। भूगतान न होने की स्थिति में रु० ५०० नगर निगम अधिनियम 1959 के मार्बलार्स के अन्तर्गत बकाया धनराशि की वर्गलार्स-राजस्व की भाँति/गृहकर में जोड़ कर की जायेगी नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्टे हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।
- (2) यदि कोई व्यक्ति किसी ड्रीमाई/फ्लोर प्लान को परिनिर्मित करने की अज्ञात प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ड्रीमाई/फ्लोर प्लान पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अनुच्छेद-3 के तहत अज्ञात श्रृंखला भूगतान करने का दायी होगा।

(ख) मानवित्व स्वीकृत करने वाली संरचना के अनापत्ति प्रमाणपत्र।

- (ग) मान्यता प्राप्त संरचना अभियन्ता से सम्बन्धित भवन की सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट,
- (घ) भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध पत्र(भू/भवन स्वामी होने के पुष्टिकृत अभिलेख के साथ), आवेदन, आवश्यक विवरण और संरचना-संगणनाओं सहित मान्यता प्राप्त संरचना अभियन्ता की माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया "वायुमार्ग राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005" के "संरचना अभिकल्प, धारा-1 मार बल और प्रभाव" के भाग-4 के अनुसार होगा।
- (ख) विज्ञापन पट्टे की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण,

साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किये जायेंगे :-

- (क) यदि विज्ञापन किसी सांख्यिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में विज्ञापन या विज्ञापन पट्टे किसी निजी मूँषि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, विपकषा जाना, लिखा जाना, या भवन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी, आवेदन पत्र के साथ और स्थानों के समस्त पट्टे और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएँ विधिपूर्वक विज्ञापनों के अतिरिक्त निजी भवन/मूँषि/खोल-विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या मूँ-प्रतीकों के मामले में सहायक किया जायेगा।
- (ग) कोई अन्य विशेषियाँ, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हों,

निजी भवन पत्र
मूँषियों पर अज्ञात
श्रृंखला के
भूगतान की
प्रक्रिया

अनुज्ञा प्राप्त करने 7
की शर्तें

- (3) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जाय।
- (4) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम का 25 प्रतिशत की धनराशि संलग्न करनी होगी।
- (1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने, उद्घोषित करने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी, किन्तु बैनर, वाल पेण्टिंग, पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा, यह कि—
 - (क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु यह कि अनुज्ञा शुल्क या प्रीमियम सहित अनुज्ञा शुल्क, इस उपविधि के अनुसार नगर निगम निधि में संदत्त और जमा किया गया हो,
 - (ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जाएगा, चिपकाया जाएगा, समुद्धृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त अथवा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापनों पट्टों के मध्य की दूरी 20 मीटर से कम नहीं होगी। यूनीपोल लगाये जाने की दशा में दो यूनीपोल के मध्य की दूरी 50 मीटर से कम नहीं होगी,
 - (ग) विज्ञापन/विज्ञापनपट्ट चौराहे से 50 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा,
 - (घ) विज्ञापनकर्ता द्वारा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशा में रखा एवं अनुरक्षित किया जाएगा,
 - (ङ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी,
 - (च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से तत्काल प्रभाव सहेटा देगे।
 - (छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे,
 - (ज) मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी,

- (ग) यदि शिक्षण पट की संरचना या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है।
- (ख) यदि कोई परिवर्तन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर नगर आयुक्त के निर्देश के बिना किया जाता है।
- (क) यदि कोई शिक्षण या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारण से गिर जाता है।
- (2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीनीकरण तत्काल प्रभावी रहते समाप्त हो जायेगा -
- जाना आवश्यक होगा।
- (अ) शिक्षण प्रदर्शित करने की दशा में नगर आयुक्त द्वारा अनुज्ञा प्रदान किये जाने के पश्चात् निर्धारित अनुज्ञा शुल्क जमा किया
- (ब) नगर निगम सीमान्तगत भारतीय रेलवे, मैट्रो रेलवे लाइन एवं बस अड्डे की बाउण्ड्री अथवा पिलर अथवा अन्य सम्पत्ति पर नाम, फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर, शिक्षणपट अनुज्ञा संख्या, अनुज्ञा अवधि, मोबाइल नम्बर आदि अंकित करना अनिवार्य होगा।
- (ब) नगर निगम सीमान्तगत शिक्षणपट अनुज्ञाओं द्वारा समस्त शिक्षणपटों पर नगर निगम कानून द्वारा दिये गये प्राकृष के अनुसार फर्म का
- (ग) शिक्षणों की वृद्धि या काष्ठमय पेड़-पौधों में गह्रा, बांधा नहीं जायेगा।
- (घ) समस्त शिक्षण नियम 16 "समस्त शिक्षणों के लिये सामान्य अपेक्षाएँ" में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अन्तर्गत होंगे।
- (ङ) शिक्षण पटों का अंगुक्षण तथा निरीक्षण नियम 24 एवं 25 के अधीन होंगे।
- प्रतिबन्धित स्मार्टिक का प्रयोग निषिद्ध होगा।
- (च) शिक्षणों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के शिक्षण हेतु पर्यावरण विनाश द्वारा
- (छ) शिक्षणकर्ता को इस उपविधि और अन्य एनकीयविधियों का पालन करना होगा।
- पर्याप्त शिक्षणकर्ता शिक्षण को हटा देगा।
- (ज) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञापत्र को निलम्बित कर दे, जिसके
- होगे।
- (झ) भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकाँ और शिक्षण पटों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातावरण किसी भी रूप में बाधित नहीं

- (घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो, और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है, या,
- (ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

अनुज्ञा शुल्क 8

अनुसूची-1 के अनुसार प्रत्येक स्थल के लिये अनुज्ञा शुल्क की धनराशि नियत की जायेगी।

आवंटन समिति 9

(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक आवंटन समितिगठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(एक) नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त सदस्य

(दो) निगम का मुख्य अभियन्ता या नगर आयुक्त द्वारा नामित अधिशाषी अभियन्ता सदस्य

(तीन) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी या नगर आयुक्त द्वारा नामित लेखाधिकारी सदस्य

(चार) प्रभारी अधिकारी, विज्ञापन जो सहायक नगर आयुक्त/कर निर्धारण अधिकारी की श्रेणी से निम्न न हो सदस्य-सचिव

(2) समिति इस उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और तदनुसार अनुमोदित करेगी।

निर्धारित माकप में कोई परिवर्तन खाली छोड़ दी गयी हो

(क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अनर्पित न हो, वह इस उपविधि के अन्तर्गत न हो या आवेदन पत्र के साथ

जा सकता है, यह कि:-

नियम 6 के अधीन अर्जना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया

विनिर्दिष्ट वार्षिक अर्जना शुल्क/उच्चतम प्रीमियम की निर्धारित धरणादि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, उपविधि द्वारा निर्धारित प्रकिया द्वारा अनुसूची-1 में

यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्टे किसी सांख्यिक मर्ग या इससे संलग्न मूल्य या किसी सांख्यिक स्थान या बहुराज्यीय पर

अर्जना शुल्क, विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।

यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या मूल्य पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन

अनुसार से की जायेगी।

ही रूप में उपर्युक्त शीति से की जाएगी। टी गार्ड फ्लोर पार्क, ग्रीन बेल्ट परविज्ञापन की आवेदन अनुसूची-3 में विहित शीति के

विज्ञापन प्रतीक आकाश चिह्न, गुब्बारा, पलका बैनर विद्युतीय प्रतीक इत्यादि के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक

नई जनसुविधा पर विज्ञापन, टैलिक/पब्लिस ब्रैड अथवा टैलिक आर्टिस्ट, ब्रामदा विज्ञापन, डिजिटल स्क्रीन या अन्य कोई

विज्ञापन यथा-होर्डिंग, (यु विज्ञापन एवं निजी भवनों के छत विज्ञापन को छोड़कर अन्य छत विज्ञापन), यूनीपोल, बस स्टैंड,

विरूपित सूचना, अनुदेश और निबंध एवं शर्त अर्जना आदेश में उल्लिखित की जाएगी।

धरणादि पर संलग्न की दशा में प्राथमिकता दी जायेगी।

गयी धरणादि जल कर ली जाएगी एवं उसके स्थान पर द्वितीय निविदा दाला को अगर इच्छुक हो तो उसे उच्चतम बोली की

धरणादि जमा नहीं करता है और निविदा से अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उसके द्वारा नीलामी/निविदा के लिए जमा की

यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किसी कारणों से अनुमोदित प्रीमियम एवं विज्ञापन अर्जना शुल्क की

सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित अर्जना आदेश जारी करेगा।

प्रदान की जायेगी।

नियम 27 के अधीन अनुसूची-1 में निर्धारित अर्जना शुल्क सहित प्रीमियम का उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अर्जना

अर्जना की अस्वीकृति के आधार 10

- (ख) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो,
- (ग) विज्ञापन एजेन्सी/संस्था का पूर्व में नगर निगम / स्मार्ट सिटी/जलकलमें कोई पावना शेष हो,
- (घ) अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझे।
- (ङ) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो नगर आयुक्त/समिति विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है:-

(एक) इस प्रकार हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय

(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जाएगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग/सड़क/फुटपाथ/ यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की जायेगी तथा विज्ञापनकर्ता से वसूली गयी

(च) धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिये

अनुज्ञा प्रदान करने की रीति 11

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने हेतु संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा:-

(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा

(दो) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा

(पाँच) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षितिज हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो।

(चार) सभित की रण में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो।

सम्भावना हो।

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की स्थान पर अवस्थित हो।

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सड़कों के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से नापे गये 20 मीटर के भीतर किसी

(एक) यह आकार में 12.4 मीटर x 6.2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो।

किया जायेगा या लटकया नहीं जायेगा, यदि

किसी संधि या करार में अन्तर्विद किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जाएगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा, विपकया नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, चित्रित नहीं

निर्दिष्ट

विज्ञापन पर

13

(1)

अनुज्ञा की अवधि

12

अनुज्ञा की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट है। अनुज्ञा/अनुज्ञा के दिनांक से अधिकतम दो वित्तीय वर्ष के लिये देय होगी।

अनुज्ञा प्रदान किया जाना है जो नीलामी/निविदा में भाग लेने वाले विज्ञापनकर्तव्यों को सूचित किया जायेगा।

पूर्व प्राप्त विज्ञापन आवेदनों पर निर्णय लेकर विज्ञापनकर्तव्यों को सूचित किया जायेगा, यदि नीलामी/निविदा के माध्यम विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर अनुज्ञा और नवीनीकरण के लिए वित्तीय वर्ष/अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के 01 सप्ताह के

दर से कम से कम 10 प्रतिशत या उससे अधिक होगा।

जायेगा एवं अनुज्ञा के नवीनीकरण होने के पर्याप्त देय भीति/पूर्व विज्ञापन अनुज्ञा शुरूक जमा करना होगा जो पूर्व वर्ष के भीति/नवीनीकरण शुरूक एवं सम्पूर्ण विज्ञापन अनुज्ञा शुरूक जमा करने के पर्याप्त अनुज्ञा का नवीनीकरण पर विचार किया

(तीन) निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन पूर्व में प्रदान की गई अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित

- (छः) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और दीवारों चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो
- (सात) यह स्थल नियम 27के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो,
- (आठ) यह जर्जर स्थिति में हो जिसके आंधी-पानी (बरसात) में अथवा अन्य प्रकार से गिरने की सम्भावना हो।
- (नौ) यह तम्बाकू से निर्मित पदार्थ सिगरेट इत्यादि के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला हो,
- (दस) यह प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति भंग होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो,
- (ग्यारह) यह प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो,
- (बारह) यह प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में बाधा या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,
- (तेरह) यह प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत हो
- (चौदह) यह विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो

विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी :

(2)

- (एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुँचने, या संविलीन होने, प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो,
- (दो) समस्त प्रमुख चौराहों/तिराहों से 50 मीटर के भीतर, *(ट्रैफिक आइलैण्ड, जनसुविधाओं पुलिस बूथ को छोड़कर)*

- (तीन) किसी मार्ग के पार लटकार गये पट्टों, भिंति पत्रकों, बरत-झण्डियां या पत्रक पर लिनसे चालक का ध्यान विचलित होता है और इसलिए परिसंकेतमय हो
- (चार) ऐसे रूप में लिनसे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहों पर उनकी दृश्यता बाधित हो।
- (पाँच) स्थानीय सुविधाएँ प्रभावित नहीं की जायेंगी।
- (3) (एक) सार्वजनिक भवनों, दिशा-सूचकों और महत्वपूर्ण सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन-पट्टों पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा।
- (दो) सड़क पर कास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।
- (तीन) गैर-प्रतीक के लिए यह आवश्यक होगा कि गैर-प्रतीक के दोनों छोरों पर स्थान बोधक, दिशासूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाय जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा। गैर-प्रतीक की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जाएगी कि सामान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सके।
- (चार) पलावर पॉट में मौसमी पुष्पों वाले पौधे ही लगाए जा सकेंगे। कैक्टस/कटीले पौधोंले पलावर पॉट अनुमत्त नहीं होंगे।
- (पाँच) सड़क के किनारे अथवा डिवाइडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो खातलम्बी हो चुके हैं एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री-गाई/पलावर पॉट लगा कर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध होगा।
- (छ) किसी भी पोल पर अधिकतम दो कियॉस्क लिनके पार्श्व भाग आपस में इस प्रकार सट होंगे लिनसे एक दिशा से एक ही कियॉस्क दृश्य होंगे, अनुमत्त होंगे।
- (4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी :
- (एक) ऐसी सभ्यता या चमक वाले प्रदीप विज्ञापन और विज्ञापन पट्टे लिनसे बाँध उत्पन्न हो या बाहन चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या लिनसे चलने की किसी क्रिया में विघ्न पड़ता हो।
- (दो) विज्ञापन और विज्ञापन पट्टे जो इस रूप में प्रदीप हों लिनसे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्टे युक्ति या संकेतक

का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

छत के उपर के
विज्ञापन पटों के
सम्बन्ध में निर्बन्धन

14

(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पटों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक ही अनुमत्य हैं।

(2) नियम-6 (क) और नियम-13 के अधीन रहते हुए किसी भवन की छत पर विज्ञापन पट की ऊँचाई अधिकतम 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी और चौड़ाई किसी भी दशा में भवन की क्षैतिज चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।

विज्ञापन पटों के
प्रकार

15

विज्ञापन निम्नलिखित प्रकार के होंगे:-

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन/वैद्युत डिजिटल विज्ञापन/एल.ई.डी. स्क्रीन (किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति नहीं होगी।)

(ख) भू-विज्ञापन/यूनीपोल/कैन्टीलीवर/गैन्ट्री विज्ञापन

(ग) छत विज्ञापन

(घ) बरामदा/दुकान विज्ञापन

(ङ) दीवार विज्ञापन

(च) प्रक्षिप्त विज्ञापन

(छ) शामियाना विज्ञापन

(ज) आकाशीय विज्ञापन

(झ) अस्थायी एवं विविध विज्ञापन

क-3 लाल, गुणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप विज्ञान, किसी प्रदीप यातायात विज्ञान के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर स्थापन के अनुसार स्थापित किया जाएगा।

क-2 वैद्युत विज्ञान और प्रदीप विज्ञानों का स्थापन : प्रत्येक वैद्युत विज्ञान और प्रदीप विज्ञान को राष्ट्रीय भवन संहिता 2005, भाग-8 भवन सेवाएं धारा 2, विद्युत एवं समवर्तीय

सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

क-1 वैद्युत विज्ञान की सामग्री : जहाँ प्रतीक पूर्णतः पूरा प्रकाश युक्त विज्ञान हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञान अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक दृश्य प्रदर्शन

(क) इलेक्ट्रॉनिक दृश्य प्रदर्शन

(घ) सड़क यातायात चिन्ह

(ग) अभिनव विज्ञान

(घ) सिनेमा विज्ञान

(द) सांकेतिक पट

(ध) प्रचार बोर्ड / बस पर विज्ञान

(त) फुट ओवर सिग्न

(ण) बिल्डिंग नाम, फसाद बोर्डिंग, वाटर टैंक विज्ञान

(च) ट्री गार्ड / फ्लोर पॉट डिस्प्ले

(छ) पताका / झण्डा विज्ञान, हार विज्ञान, गुब्बारा विज्ञान

(ज) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञान

(ट) जन सुविधा स्थान पर विज्ञान

(ड) टैफिक / पुलिस बूथ अथवा टैफिक आईकॉन्ड विज्ञान

(क) वैद्युत विज्ञान
और प्रदीप
विज्ञान

परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जाएगा।

- क-4 दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो, पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से प्रदर्शित किये जाएंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण में विज्ञापन पट्ट या संकेतक से होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को संतोषजनक रूप से रोका जा सके।
- क-5 गहन प्रदीप्ति : कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुए भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो, जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर संबंधित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा।
- क-6 परिचालन अवधि:— नगर आयुक्त की राय में जन सुख सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नहीं किया जायेगा।
- क-7 चौंधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाला: कोई चौंधने वाला, ओझल करने वाला या जीवंतता परक विज्ञापन पट्टिका जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जाएगी कि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर ऊपर से कम न हो।
- क-8 विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।
- (ख) भू-विज्ञापन
- ख-1 सामग्री : ढांचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 6 मीटर से अधिक ऊँचाई वाला प्रत्येक भू-विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।
- ख-2 आयाम : कोई भी भू-विज्ञापन भूमि के ऊपर 6 मीटर से अधिक की ऊँचाई में परिनिर्मित नहीं किया जाएगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख भाग के ऊपर जा सकता है।
- ख-3 अवलम्ब और स्थिरक स्थान : प्रत्येक भू-विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होंगे या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

- ग-2 अवस्थिति: (क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो।
 (ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अचलनशील सामग्री का न हो।
- ग-3 क्षीण (प्रतिबन्धन) : कोई क्षीण विज्ञापन भवन की विद्यमान भवन लाइन जिस पर यह परिनिर्मित हो के परे/प्रक्षीण नहीं होगा अथवा वह छत के ऊपर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।
- ग-4 अवलम्ब और स्थिरक : प्रत्येक छत विज्ञापन की पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में सांत्वित होनी चाहिए।

(ग) छत विज्ञापन

- ग-1 सामग्री : नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढाँचे, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अचलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पुर्तों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहाँ ज्वलनशील सामग्रियाँ अक्षरों या अन्य साज-सज्जों में अनुज्ञात हो वहीं समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और स्थित रखी जाएगी।
- ख-7 भू-विविध विज्ञापन, जहाँ लागू हों, नियम 16की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।
- ख-6 तल निर्वाहन : सभी भू-विज्ञापनों का तल आधार भूमि में कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या पटल सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।
- ख-5 जालघात में अवरोध : ऐसा कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जाएगा जिससे कि किसी भवन के मुक्त प्रवेश में या उसके निकल में व्यवधान उत्पन्न हो।
- ख-4 स्थल सफाई : किसी स्थल जिस पर कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी स्थल के ऐसे भाग जो मार्ग से दृश्य हो, को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कृत्रिम स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

संरचना अभियन्ता का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

(घ) बरामदा
विज्ञापन

- ग-5 विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।
- ग-6 चित्रित छत विज्ञापन, जहाँ प्रयोज्य हों, नियम 16 समस्त विज्ञापनों हेतु सामान्य अपेक्षाएं' के अनुरूप होंगे।
- ग-7 विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/ अन्य कोई ऐसी संस्था जो नगर निगम सीमा में मानचित्र स्वीकृत हेतु अधिकृत होसे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।
- घ-1 सामग्री : प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।
- घ-2 आयाम : कोई बरामदा विज्ञापन 01 मीटर से अधिक ऊँचा नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है।
- घ-3 संरेखण : प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन, लाइन के समान्तर स्थापित किया जायेगा, सिवाय इसके कि किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जायेगा।
- घ-4 स्थान- बरामदा पट्टिका को, जो लटकाने वाले विज्ञापन पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगाया जाएगा-
- (एक) बरामदा छत की ओरी के ठीक ऊपर इस तरह से कि वह छत के गटर से पिछले भाग से वहिर्निष्ट न हो।
- (दो) बरामदा मुंडेर या आलंब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब टोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से.मी. से अधिक वहिर्निष्ट न हो।
- (तीन) पेन्ट किए हुए विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरामदा धरनों या मुंडेरों पर।
- घ-5 लटकते हुए बरामदा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई:- किसी बरामदे से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार से लगायी जाएगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़जा से कम से कम 2.5 मीटर ऊँचाई पर हो।

नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य, व अन्य विशिष्टियों के दीवार विज्ञान के सम्बन्ध में मामले में नगर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

निकली हुई नहीं होगी।

घ-6 प्रक्षेपण : घ-4 में यथा उपरोक्त के सिवाय कोई भी बरामदा विज्ञान परिटिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

(क) दीवार
विज्ञान
(प्रतिबन्धित)

(घ) प्रक्षेपण

विज्ञान
परिटिकाएं

घ-1 सामग्री : प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञान परिटिका और उसका अवलम्ब एवं चौखट पूर्णतः अजलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

घ-2 प्रक्षेपण एवं ऊँचाई : कोई भी प्रक्षेपण परिटिका अपने अवलम्ब या चौखट के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षेपण नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षेपण नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षेपण होती हो तो यह सड़क के 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण परिटिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अभिमुख के समकोण (Right Angle) पर होंगे। जहाँ अभिमुख के लिए वी-निर्माण किया गया हो, वहाँ भवन के सामने विज्ञान परिटिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण परिटिका छत की ओरी के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण परिटिका की अधिकतम ऊँचाई 6 मीटर होगी।

घ-3 अवलम्ब एवं संलग्नक : प्रत्येक प्रक्षेपण परिटिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संवलन को संरक्षण सौधी धातु दीवारों, रॉड्स ऐंकेर्स, अवलम्ब, वेन्स या वायर्सोस, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोक जा सके और इस प्रकार अवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परिसिखरिबण विज्ञान परिटिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञान परिटिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

- च-4 अतिरिक्त भार : ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहे वह सेवाई युक्ति के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हों या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हों, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम के कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय इस प्रकार निर्मित होगा कि अतिरिक्त भार को थाम सके।
- (छ:) शामियाना
विज्ञापन
पट्टिका
- छ-1 सामग्री : शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएँ पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होंगी।
- छ-2 ऊँचाई : ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएँ 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचे और न पगडंडी से ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होंगी।
- छ-3 लम्बाई : शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएँ पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती हैं किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।
- (ज) आकाश
विज्ञापन
पट्टिका
- ज- आकाश विज्ञापन पट्टिका : आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं के मामले में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो।
- (झ) अस्थायी
विज्ञापन
पट्टिका
- झ अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएँ : सचल सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएँ मेला विज्ञापन पट्टिकाएँ एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।
- झ-1 प्रकार : झ-2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जायेगी:-

- (क) सांख्यिक समारोहों के दौरान सभी अस्थायी विज्ञापन, सबल सर्कस और मंगल चिन्ह और पट्टिकाएं सजावट संरचना अभियन्ता / सख्त अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त नगर आयुक्त की स्वीकृति के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पड़े और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पड़े।
- (ख) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर में या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय यथाशीघ्र और किसी भी दशा में,

श-2 अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता :

- (क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरामदा के समूहों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।
- (ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेंचर, बीम या आलस के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।
- (ग) कोई विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी जाल या गोल किनारे के पट्टी, बेंचर, बीम या आलस पर लगायी गयी हो।
- (घ) किसी सड़क के आर-पार परिनिर्मित कोई पलाका विज्ञापन पट्टिका।
- (ङ) विज्ञापन पट्टिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।
- (च) कपड़े धर धंभ या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या धरों के अवशिष्ट भाग धर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं हैं।
- (छ) अन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए सम्भावित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी बास ट्रेट या बोर्ड से भिन्न हो और आकार में अधिकतम 600 मिमीमीटर गुणो 450 मिमीमीटर से अधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और पतई के किसी ब्लॉक के मामले में प्रवेश द्वार के दीवार या किसी पतई के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और
- (ज) धरों, बट्टनों या पहाड़ियों या तलसमान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

परिनिर्माण के पश्चात जब तक विस्तारित न किया जाय, तत्काल हटा दिया जायेगा।

- (तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने के आदेश यदि उसकी राय में सार्वजनिक सुविधा व सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, देने के लिए सक्षम होगा।
- (चार) पोल विज्ञापन पट्टिका/झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएं : पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतया अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होंगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी। ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती हैं, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों। किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं और झण्डियां जो कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हों, सुदृढ़ रूप से बनी होंगी और अपने अवलंब से सुरक्षित रूप से लगी होंगी। जैसे ही वे फट जाये या क्षतिग्रस्त हो जायें, उन्हें यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम तत्काल हटा लिया जायेगा सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटकाये जाने के लिए अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं को, 10 दिन की अवधि तक लटकाये जाने के लिए अनुमति प्राप्त हों।
- (पाँच) अधिकतम आकार : अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होंगी।
- (सात) प्रक्षेपण : कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेंगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्ह पट्टिकाएँ बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती हैं या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती हैं किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।
- (आठ) विशेष अनुमति : भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुई सभी ऐसी अस्थाई झण्डियाँ जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर-पार बढ़ जाये, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होंगी।
- (नौ) नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये बिल फलक को अस्थाई इशतहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिए प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हों।

भार बल और प्रभाव में दिये गये अधीन डेह से सिरिमक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सके।

(2) प्रदीपित : कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भाग-8 भवन संवाहक खण्ड-2 विद्युत और सम्बद्ध संस्थापन की अध्यापकों के अनुसंधार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी। किसी भी दशा में कोई खुली बिगारी या दीपि प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तब तक नहीं इस्तेमाल की जायेगी, जब तक वह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो।

(3) विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान :
(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिका से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास, या अग्नि भयन प्रयोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रुकावट नहीं आयेगी।
(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रुकावट नहीं होगी।
(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू-दृश्य में अत्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका से बचना चाहिए।
(घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएँ लाइटिंग फिक्स्चर से युक्त होनी चाहिए।
(ङ) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएँ स्वाभाविक समा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फनीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(4) दृष्टिहीनों और आर्थिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के लिए विज्ञापन पट्टिका के किनारे ब्रैल पट्टियाँ लगाई जानी चाहिए या उन्हें हट्टे हुए अध्यापकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
(ख) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नहीं लगायी जायेगी।

(4) दृष्टिहीन पदार्थों का प्रयोग :

(एक) सजावटी विशिष्टता : बनावट, ब्रकन लगाने, ब्रास, अध्यापकों व वाली के लिए उन्हें अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं

के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

(दो) विज्ञापन पट्टिका का फलक : विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नाली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेन्टीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण :

जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाये चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका, प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति विज्ञापनकर्ता से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचाती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देना चाहिए अथवा तत्काल मरम्मत करा देना चाहिए।

(6) अनुज्ञा पत्र के ब्योरे का प्रदर्शन : अनुज्ञा-पत्र का ब्योरा और अनुज्ञा की समाप्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि इसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सके। इसको प्रदर्शित किए जाने का प्रारूप वही होगा जो समय-समय पर नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाए।

सभी विज्ञापनकर्ताओं को विज्ञापन द्वाचा कर्तृतीय पक्ष(थर्ड पार्टी) धीमा कराना अनिवार्य होगा।

(7)

दुकानों पर
विज्ञापन

17

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और अनुज्ञा शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना दपती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

(एक) यदि सामग्री बेचे जाने वाली दुकान का नाम फलक लटकाकर, पेंटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाय तो प्रत्येक दुकान के लिए केवल एक ऐसे विज्ञापन पट्ट को विज्ञापन नहीं माना जाएगा और वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय नहीं होगा।

(दो) परन्तु यदि कोई विज्ञापन लटकाकर, चिपकाकर अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाय कि उसमें विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हो और गुण व चित्र आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के

- रूप में स्वतंत्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन विज्ञान अर्जुना शृंखला देय होगा।
- सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौदर्यबोध और सांकेतिक सूत्रों पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञानों को मागीष्ठिकार के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय सार्वजनिक/राष्ट्रीय प्राधिकरण को छोड़कर, अर्जुना प्रदान की जायेगी—
- (1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञान—
- अधिकतम: विज्ञान फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर गुण 1.2 मीटर से अधिक नहीं रखी जायेगी और विज्ञान के निचले तल की गूँद से ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी। किसी भी दशा में विज्ञान फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।
- (2) बस सायबानों पर विज्ञान—अधिकतम: बस सायबानों (बस स्टैंड) के विज्ञान फलक पर 2 मीटर व 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए विज्ञान प्रदान की जायेगी। बस सायबान पर विज्ञान पर 1.5 मीटर फलक द्वारा सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर रखी जायेगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित करया जायेगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित कियाया सूची, सिटी बसों का कूट नंबर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञान फलक की गयी हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण रखने के लिये पर समय-समय पर करना अनिवार्य होगा।
- (3) स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञान :- नियम-13(2) में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुँचाने की सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर X 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञान फलक को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संयुक्त रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि प्रदान करने की अर्जुना होगी।
- (4) यातायात स्टॉप/सड़क: नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभाषी) के परामर्श से आवंटन सम्बन्धित यातायात स्टॉप/आइलैण्ड/यातायात/पुलिस बूथ पर उसकी कुल चौड़ाई एवं ऊँचाई से अधिक का विज्ञान प्रदर्शित नहीं किया जायेगा तथा विज्ञान की ऊँचाई अधिकतम 0.90 मीटर रखी जायेगी। इसके लिए विज्ञान फलक को उपविधि में विहित दरों पर अर्जुना अर्जुना शृंखला देय किया जायेगा।

18 मागीष्ठिकार (राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर) के भीतर अर्जुना प्राधिका

- (5) **मैदानों, पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियाँ** : नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रखरखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथाअनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त को अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय-समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख-रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के लिए आबद्धकर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञापन पट्ट का अधिकतम आकार 0.45 मी. गुणे 0.75 मी. होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मी. होगी।
- (6) **वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड)** : नगर आयुक्त अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रखरखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकता है परन्तु 0.90 मीटर से कम चौड़े डिवाइडरों पर ट्री-गार्ड लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी।
- (7) **पुष्प पात्र स्टैण्ड (फ्लावर पॉट स्टैण्ड)** : नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 गुणे 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्ट अपने दोनों ओर संप्रदर्शित किये जा सकते हैं, परन्तु सड़क सतह से ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जाएगा।

छूट

19-

- (1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी:-
- (एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।
- (दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।
- (तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- (चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, संकेतक, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसों, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु

(3) अस्थाई विज्ञापन पट्टे :

- (चार) ऐसे विज्ञापन पट्टे जो किसी यात्रा मार्ग, स्थान या सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर इंगित करते हों परन्तु किसी संस्था/व्यवसायिक उपक्रम का नाम अंकित न हों।
- (तीन) नाम पट्टे : किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्टे जो भवन के अस्थाई के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो परन्तु किसी संस्था/व्यवसायिक उपक्रम का नाम अंकित न हो।
- (दो) सरकारी भवन विज्ञापन पट्टे : किसी नगर पालिका राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्टे जो अस्थाई के नाम प्रकृति या सूर्यना को घोषित करते हों।
- (एक) मण्डारण विज्ञापन पट्टे : किसी प्रदर्शन विड़की के ऊपर किसी मण्डारण या कारबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्टे जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारबार की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्टे 01 मीटर से ऊँचे और कारबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होने चाहिए।
- (2) दीवार विज्ञापन पट्टे : नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- (आठ) इसके अतिरिक्त नियम 196 के उप नियम (2) (3) व (5) के अधीन आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा की अनुपालन में परिनिर्माण या रखरखाव के उत्तरदायित्व से निर्मुक्त है।
- आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्टे का स्वामी इस उपविधि के आवश्यकता नहीं है।
- (छ) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैठक या अशरारिकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो, परन्तु यह 90 वर्गमीटर से अधिक न हो।
- (पाँच) यदि विज्ञापन पट्टे किसी भवन की विड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संचालन प्रभावित न हो एवं सार्वजनिक रूप से सड़क से दर्शित न हों।
- ऐसे सांकेतिक पट्टों के लिये अनुमत्य नहीं होगी, जिसमें किसी संस्था का विज्ञापन हो रहा हो।
- उनकी माप 0.6 मीटर गुण 0.6 मीटर से अधिक न हो तथा किसी संस्था/व्यवसायिक उपक्रम का नाम अंकित न हो यह छूट

- (एक) **निर्माण स्थल संकेत** : निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत, और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।
- (दो) **विशेष संप्रदर्शन संकेत** : अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं है। (नियम-15 झ(2) 'अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता' देखिए)

विशेष विज्ञापन 20

- (1) यदि नियम-27 एवं अनुसूची-1 (जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है) द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे अनुबन्ध एवं शर्तों पर और इस उपविधि द्वारा निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के दो गुना, अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।
- (2) प्रत्येक ऐसे अनुज्ञा अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिए विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रतर अवधि के लिए हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

विशेष नियंत्रण क्षेत्र 21

- (1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुमति विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। सार्वजनिक उपयोग के पार्को और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।
- (2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाय सीमित किया जायेगा। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरुद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (3) किसी बरामदा/दुकान विज्ञापन की शब्दावली, विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम, जो उस परिसर के अध्यासी हो, तक सीमित होगी। भवन या संस्था का नाम, चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम यथा "ज्वैलर्स" "कैफे" "डांसिंग" या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा

- या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी ब्यामदे के विज्ञापन में विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में ब्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल्य में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।
- (4) विशेष नियन्त्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उप नियम (3) के अधीन दी गयी अज्ञा के सिवाय समान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं प्रदर्शित होगा।
- उपविधि में अन्य बातों के प्रतिकूल न होते हुए यदि भविष्य में विज्ञापन अज्ञा श्रृंखला की आवश्यकता प्रतीत होती है तो नगर निगम की स्वीकृति के उपरान्त नगर आयुक्त उक्त में संशोधन करने के लिए अधिकृत होंगे।
- 22 आवश्यकता पड़ने पर उपविधि में संशोधन
- 23 शहियाँ पर रोक
- (1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्ति लिखित अज्ञा के बिना किसी झण्टी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा।
- (2) कोई भी अज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।
- (3) इस उपविधि का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति ऐसी शक्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय और वह प्रति झण्टी दो सौ रुपये से कम नहीं होगी।
- (4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्टी को हटा सकता है और उसे सम्पूरा या विनष्ट कर सकता है।
- (1) अज्ञा : सभी विज्ञापन तिनके लिए अज्ञा अधिहित है, उन्हें अवलम्बी, बंधनी, रस्ता और स्थिरक के साथ मती प्रकार मरमत किसे जायेगी जो कि हावागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब सम्कीर्ण या अनुमोदित अवलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मती लगने से रोकने के लिए रंग-रोगन समय-समय पर किया जायेगा।
- (2) सुव्यवस्था : प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन हेतु उके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता, आवश्यक मरमत और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे।
- (3) निर्दिष्ट : प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिए कोई परमिट

अज्ञा और निर्दिष्ट

24

23

22

अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन)/नगर आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी कभी भी कर सकता है।

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति 25

नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि द्वारा तदधीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु—

- (एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय, अन्य किसी समय, अध्यासी को नोटिस दिये बिना अथवा भूमि या भवन के स्वामी/अध्यासी के न होने पर भूमि/भवन में प्रवेश नहीं किया जायेगा।
- (दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो तो, हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।
- (तीन) जहाँ तक ऐसे प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिए प्रवेश किया गया है। प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक् ध्यान दिया जायेगा।

भुगतान की रीति 26

- (1) सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित कुल धनराशि एकल किस्त में अथवा दो किस्तों में संदेय होगा। बिना देय धनराशि जमा किये एवं बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित/संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का भुगतान दो किस्तों में करना होगा यथा—प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने अथवा स्वीकृति के समय जो पूर्व हो, तथा दूसरी किस्त 30 सितम्बर के पूर्व देय होगी।
- (2) यदि कोई विज्ञापनपट्ट: माह से कम अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाता है तो अनुज्ञा शुल्क अनुसूची-1 में अंकित दरों की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर देय होगा।
- (3) किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि किसी विज्ञापन हेतु विज्ञापनपट्टको तीन माह अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित करता है तो अनुज्ञा शुल्क की दरें अनुसूची-1 में अंकित दरों पर मासिक आधार पर एक किस्त में देय होंगी।

क्षेत्रों का वर्गीकरण 27—

विज्ञापनों पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा, जिसका पुर्न निर्धारण अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।

(एक) निषिद्ध श्रेणी क्षेत्र

- नरेन्द्र मोहन उपरिगामी सेतु से मरियमपुर हास्पिटल चौराहा होते हुये विजय नगर चौराहा तक। नरेन्द्र मोहन उपरिगामी सेतु से देवकी चौराहा होते हुये छपड़ा पुलिसा तक।
- रावतपुर रेलवे स्टेशन से कल्याणपुर होते हुये आई0आर0टी0 तक।

उसके आन्तरिक मार्ग।

- 1000वीं0 कॉलेज तिराहा से गोरा कब्रिस्तान से सरसैया घाट चौराहा से महकिल रेस्टोरेन्ट होते हुये भेदरूल तिराहा मुख्य मार्ग एवं कम्पनी बाग चौराहा से रानीघाट चौराहा से देव शी चौराहा से टैपको चौराहा से मर्वोट बैन्बर तिराहा से ग्रीन पार्क चौराहा से तिराहा से मौलीश्रील शिवाजी हार, मंडिकल चौराहा से रावतपुर स्टेशन तक, रावतपुर स्टेशन तिराहा से कम्पनी बाग चौराहा तक एवं भेदरूल तिराहा से बड़ा चौराहा, बड़ा चौराहा से परेड होते हुये लाल इमली चौराहा से युन्नीगंज चौराहा से बकरमण्डौ से बेनाझाबर अशोक नगर, 80 फिट रोड, पी0 रोड, लीनन पार्क, जवाहर नगर, रामबाग, हर्षनगर चौराहा, मेहक नगर आवाय नगर, रामकृष्ण नगर।
- मरे कम्पनी पुल से भेदरूल तिराहा मुख्य मार्ग एवं उसके आन्तरिक मार्ग, आदर्श व्यायामशाला से कचहरी चौराहा, एस0पी0 ऑफिस, एम0जी0कॉलेज स्थित लाइन्स होते हुये लाल इमली तक। लाल इमली से मर्वोट बैन्बर तक। आर्थनगर, तिलकनगर, स्वरूपनगर।

(दी) प्रवर श्रेणी क्षेत्र :

- न्यायालय परिसर, सरकारी भवन, समस्त पुल, समस्त धार्मिक स्थल, समस्त ऐतिहासिक भवन एवं समिति द्वारा निर्धारित निषिद्ध नगर आयुक्त वी.बी.आई.पी. मूवमेंट, यातायात एवं सुरक्षा की दृष्टि से तथा मविष्य में भेदरूल रेल हेतु निर्धारित ऊट पर भिन्न के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रचार हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिये अधिकृत होंगे।
- न्यायालय परिसर, सरकारी भवन, समस्त पुल, समस्त धार्मिक स्थल, समस्त ऐतिहासिक भवन एवं समिति द्वारा निर्धारित निषिद्ध

(क) (एक) निजी भूमि भवन एवं सार्वजनिक स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रचार हेतु निषिद्ध क्षेत्र :

- (दी) प्रवर श्रेणी क्षेत्र
- (तीन) अ. श्रेणी क्षेत्र
- (चार) ब. श्रेणी क्षेत्र
- (पाँच) स. श्रेणी क्षेत्र

- गोल चौराहा नरेन्द्र मोहन उपरिगामी सेतु से कोकाकोला चौराहा से गुमटी नं०-5 से जरीब चौकी चौराहा से अफीम कोठी चौराहा से झकरकटी बस स्टेशन से टाटमिल चौराहा (चारों ओर 100 मी० परिधि के अन्दर) से पी०ए०सी० मोड़ होते हुए रामदेवी चौराहा तक तथा रामदेवी चौराहा से जाजमऊ मुख्य मार्ग (पुरानी चुंगी तक)।
- मरियमपुर हास्पिटल चौराहा से कबाड़ी मार्केट चौराहा से फजलगंज चौराहा होते हुए बैंक आफ बड़ौदा चौराहा से गोविन्दपुरी पुल से चावला मार्केट से नन्दलाल चौराहा से दीप टाकीज से बर्रा बाईपास तक।
- गोविन्द नगर सम्पूर्ण क्षेत्र।
- रेव मोती से देवकी चौराहा होते हुये डबल पुलिया तक।
- गुमटी नं०-9 से नमक फ़ैक्ट्री चौराहे तक।
- विजय नगर से डबल पुलिया शनैश्वर मन्दिर चौराहा होते हुये प्रेसीडेन्ट होटल आवास विकास कल्याणपुर तक।
- कल्याणपुर क्रॉसिंग से अरमापुर नहर तक।
- विजय नगर चौराहा से दादानगर चौराहा होते हुये सी०टी०आई० चौराहा से शास्त्री चौक तक।
- एम०आई०जी० तिराहा से पनकी बी ब्लाक क्रॉसिंग सब्जी मण्डी तक।

(तीन) 'अ' श्रेणी क्षेत्र :

- एक्सप्रेस वे से घण्टाघर चौराहा से टाटमिल चौराहा (चारों ओर 100 मी० परिधि छोड़कर) बाँकरगंज चौराहा से किदवई नगर चौराहा होते हुए यशोदा नगर बाईपास तक।
- मन्जुश्री सिनेमा हॉल घण्टाघर से चाचा नेहरु अस्पताल होते हुये डिप्टी पड़ाव चौराहा से सीसामऊ थाना तक।

- अशोक नगर, 80 फिट रोड, लेनिन पार्क, जवाहर नगर, रामबाग, हर्षनगर औराहा, नेहरू नगर, आचार्य नगर, रामकृष्ण नगर।
- अफीम कोठी औराहा से बारादेवी औराहा होते हुये गौशाला औराहा से नौबरला औराहा तक, नौबरला औराहा से दास कुर्छी से आवास विकास हंसपुरम कालोनी से गलामाण्डो से कानपुर नगर सीमा तक।
- रामादेवी से कमा तक कानपुर नगर निगम सीमा मुख्य मार्ग एवं उसके आन्तरिक मार्ग।
- रामादेवी से यशोदानगर बाईपास मुख्य मार्ग एवं उसके आन्तरिक मार्ग।
- खामनगर, देहली सुजानपुर, कर्दही, नौबरला, जखौली, लालबंगला, विवाशीपुर, जलमक, गौधीग्राम, कृष्णानगर, किदवई नगर सम्पूर्ण क्षेत्र।
- जलमक नई बुंगी औराहा से पुरानी बुंगी तक (बीआइडोपी रोड)
- किदवई नगर औराहा से साइट नं०-1 औराहा से बारादेवी औराहा तक एवं गविन्द नगर जाने वाले मार्ग पर।
- बाबा कुटी साउथ एक्स मॉल से साइट नं०-1 औराहा तक।
- किदवई नगर एच ब्लॉक औराहा से संजय वन होते हुए सीटे वाले हनुमान मन्दिर से गौशाला औराहा से थाना किदवई नगर से दीप टकीज औराहा तक।
- हर्ष नगर पेट्रोल पम्प से कोकाकोला औराहा तक।
- गुमटी नं०-5 रेलवे क्रॉसिंग से सन्त नगर औराहा होते हुये कालपी रोड तक।
- जरीब चौकी रेलवे क्रॉसिंग से फजलगंज औराहा से विजय नगर औराहा से अर्मापुर इस्टेट से नहरिया होते हुए भाटिया औराहा से भीली बाईपास तक।
- भाटिया औराहा से पनकी हनुमान मन्दिर औराहा तक।

- दादानगर व पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया सम्पूर्ण क्षेत्र।
- जूही परमपुरवा सम्पूर्ण क्षेत्र।
- सचान गेस्ट हाउस चौराहा से शास्त्री चौक चौराहा से रतनलाल नगर होते हुए दबौली, गुजैनी, बाईपास तक के समस्त क्षेत्र।
- गुरुदेव से चिड़ियाघर होते हुये बैराज तक।
- कल्यानपुर इन्द्रानगर मोड़ से सी0एन0जी0 पेट्रोल पम्प होते हुये चिड़ियाघर रोड तक।
- मनोरमा गेस्ट हाउस (विकास नगर) से रामा मेडिकल कालेज तक।
- नीरक्षीर चौराहे से तुलसी नगर तक तथा काकादेव के आन्तरिक मार्ग सम्पूर्ण क्षेत्र।
- मसवानपुर चौराहे से पनकी कल्यानपुर रोड तक।
- मरियमपुर हास्पिटल चौराहे से कोकाकोला चौराहे तक।

(चार) 'ब' श्रेणी क्षेत्र :

- अहिरवाँ, सनिगवाँ, कोयलानगर, पोखरपुर, हंसपुरम् वॉटर पार्क के आसपास।
- नया शिवली रोड, बारा सिरोही नहर तक।
- अवधपुरी मोड़ से सेल टैक्स रोड तक।
- कम्पनीबाग चौराहे से रामचन्द्र चौराहे से बैराज तक।

- कम्पनीबान चौराहे से डाकघर चौराहा एल०आइ०सी० चौराहा होवे ह्ये बी०ए०ए०ए०सी० कालेज होवे ह्ये बैराल रोड तक ।
- विडियाघर चौराहे से एच०बी०टी०यू० गेट तक ।
- बिर्दर मोड से डी०पी०एस० स्कूल तक ।
- बन्धा रोड कल्यानपुर ।
- गीतानगर कॉसिंग से हरी गन्स हॉस्टल तक ।
- दलहन कॉसिंग से मसवानपुर चौराहे तक ।
- बगिया कॉसिंग से केस्को चौराहे तक ।
- एलिको से नानकरी तक ।
- नकरी जाने वाले जी०टी०रोड कॉसिंग से चन्दल गेट व प्रधान गेट तक ।
- विडियाघर चौराहे से सेनावती रोड पर जैन इन्टरनेशनल स्कूल तक ।
- शांतीनगर सेन्दल पार्क के आस-पास का परिक्षेत्र ।
- मसवानपुर चौराहे से मसवानपुर होवे ह्ये सराय चौराहा तक ।
- आवास विकास यूको पार्क के आस-पास का परिक्षेत्र ।
- गीवा गार्डन कॉसिंग से माधवपुरम होवे ह्ये आइ०आइ०टी० एडिवाणी गेट तक ।
- बुद्धा पार्क (इन्दरानगर) के आस-पास का परिक्षेत्र ।

(पाँच) 'स' श्रेणी क्षेत्र :

उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत उल्लिखित मार्गों के अतिरिक्त (प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़कर)।

हटाये जाने की लागत	28	<u>नियम 13</u> के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत् होगी—	
		(क) 6.1 X 3.05 मीटर या उससे कम के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट	रु. 10,000/- प्रति
		(ख) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट	रु. 15,000/- प्रति
		(ग) किसीदीवार/किसी सतह पर वॉल पेन्टिंग विज्ञापन साफ करना	रु. 5,000/- प्रति
		(घ) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को	रु. 30,000/- प्रति
अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन	29	(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु. 10,000/- (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोषसिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से, जो रु. 500/- (पाँचसौ रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।	

विज्ञान और विज्ञान पर पर आज्ञा शुक की दर

(नियम 8 देखें)

अनुसूची-1

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किसी क्षेत्रों को विज्ञान या विज्ञानपदों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, विपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निश्चिष्ट घोषित करें।

निश्चिष्ट क्षेत्र की घोषणा 32

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किसी क्षेत्रों को विज्ञान या विज्ञानपदों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, विपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निश्चिष्ट घोषित करें।

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किसी क्षेत्रों को विज्ञान या विज्ञानपदों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, विपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निश्चिष्ट घोषित करें।

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किसी क्षेत्रों को विज्ञान या विज्ञानपदों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, विपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निश्चिष्ट घोषित करें।

क्षेत्र की नीलामी 31

(2) महापौर महोदय/महोदया, पक्षकारों की सहमति से प्रकरण पंचायत निर्वाचन के लिए भेज सकता है। पंचायत का निर्वाचन आत्मत होना। पंचायत की नियुक्ति महापौर महोदय/महोदयाद्वारा पक्षकारों की सहमति से की जायेगी। पंचायत निर्वाचन को स्थित न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

(1) पक्षकारों के मध्य (नगर निगम व विज्ञानपद) कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण महापौर महोदय/महोदया द्वारा अथवा महापौर महोदय/महोदयाद्वारा अधिकृत अधिकारी या अधिकारियों की समिति के समक्ष कोई भी पक्षकार विवाद प्रेषित कर सकता है। दोनों पक्षकारों को सम्यक सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त महापौर महोदय/महोदयाद्वारा अधिकृत अधिकारी या अधिकारियों की समिति विचार कर निर्णय देगी। यह निर्णय अन्तिम होगा।

विवाद का निस्तारण 30

(2) उप नियम (1) में अन्तर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आठ से अत्युत और तीन चौथाई से अनाधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशासित किया जा सकता है।

1. निगम द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि, दीवार और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए—
 - (1) प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु. 3200 /— (तीन हजार दो सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 - (2) "अ" श्रेणी क्षेत्र : रु. 2400 /— (दो हजार चार सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 - (3) "ब" श्रेणी क्षेत्र : रु. 2000 /— (दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 - (4) "स" श्रेणी क्षेत्र : रु. 1600 /— (एक हजार छः सौ) प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
2. एक स्तम्भ (यूनीपोल) पर विज्ञापन पट—
 - (1) प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु. 5000 /— (पाँच हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 - (2) "अ" श्रेणी क्षेत्र : रु. 4000 /— (चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 - (3) "ब" श्रेणी क्षेत्र : रु. 3000 /— (तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 - (4) "स" श्रेणी क्षेत्र : रु. 2000 /— (दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
3. विद्युत पोल/ट्री-गॉर्ड/फ्लॉवर पॉट/जन सुविधा पर विज्ञापन पट—
 - (1) प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु. 5000 /— (पाँच हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 - (2) "अ" श्रेणी क्षेत्र : रु. 4000 /— (चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 - (3) "ब" श्रेणी क्षेत्र : रु. 3000 /— (तीन हजार पाँच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
 - (4) "स" श्रेणी क्षेत्र : रु. 2000 /— (दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
4. बस शेल्टर/पुलिस बूथ/ट्रैफिक आईलैण्ड/कैन्ट्रीलीवर पोल (ट्रैफिक सिग्नल)/गैन्ट्री :—

- (1) प्रथम श्रेणी क्षेत्र : रु. 6000/- (छः हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
- (2) अश्वी क्षेत्र : रु. 5000/- (पाँच हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
- (3) बश्वी क्षेत्र : रु. 4000/- (चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
- (4) सश्वी क्षेत्र : रु. 3000/- (तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
- (1) एल.ई.डी. कठिन से संचालित विज्ञापन हेतु उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 तक निर्दिष्ट दरी पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।
- (2) एल.ई.डी. कठिन के माध्यम से संचालित विज्ञापन हेतु उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 तक निर्दिष्ट दरी पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।
- (3) एल.ई.डी. कठिन से संचालित विज्ञापन हेतु उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 2 को निर्दिष्ट दरी का 75 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क देय होगा।
- (1) शक्ति संचालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)
- (क) हल्का वाहन : रु. 10,000/- (दस हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन
- (बी) भारी वाहन : रु. 40,000/- (चाबीस हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन
- (2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर-
- (क) तीन पहिया : रु. 300/- (तीन सौ) प्रति दिन
- (बी) चार पहिया : रु. 1000/- (एक हजार) प्रति दिन
- (तीन) छः पहिया : रु. 1500/- (एक हजार पाँच सौ) प्रति दिन

7. पर्चा (हैण्ड बिल) : रु. 2000/- (दो हजार) प्रति हजार
8. गुब्बारे : रु. 1000/- (एक हजार) प्रतिदिन
9. छतरी (कैनोपी) : रु. 500/- (पाँच सौ) प्रतिदिन
10. आटो रिक्शा श्री-व्हीलर : रु. 2000/- (दो हजार) प्रतिवर्ष प्रति आटो
11. बसों पर : रु. 5000/- (पाँच हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
12. रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग जिसका भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा में अनुसूची-1 में अंकित अनुज्ञा शुल्क की दरों के क्रमांक-1 के अनुसार 75 प्रतिशत देय होगा।
13. उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 3 माह का अनुज्ञा शुल्क मद संख्या-1 के अनुसार लिया जायेगा।
14. ध्वनि विस्तारक यंत्र : रु. 200/- प्रति बाक्स/स्पीकर प्रति दिन
15. जिन मदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है उनका अनुज्ञा शुल्क क्रमांक-1 के अनुसार देय होगा।
16. निजी भूमि/भवन पर स्ट्रक्चर लगाने से पूर्व भवन की मजबूती, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भवन की गुणवत्ता सुदृढीकरण का प्रमाण-पत्र, भवन स्वामी का अनुबंधनामा, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित को प्रस्तुत करना होगा।

(दृष्टिपर उप-विधि 5(1))

पुनरीकरण-2-47

पृष्ठ-1

अनुसूची-2

निदेशक /
स्वामी
नवीनतम
प्रासपेट
साइज फॉटो

मूल्य रु. 1,000/-+ (जी0एस0टी0)

पत्र सं.

1. यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश दे सकते हैं कि अनुज्ञा शृंखले मासिक आधार पर आगमिता होगा। सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करावी जाएगी।
2. अनुज्ञा शृंखले के सभी अवशेष उ०प्र० नगर निगम अधिनियम-1959 के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

स्पष्टीकरण:-

18. अनुज्ञा शृंखले अधिम रूप से सदेव योग्य होगा।
19. स्वीकृत विज्ञापनपट/यूनीपोल/गैट्टी/कैन्टीनर के लिए जानवार अलग-अलग रंग निर्धारित करके नगर निगम स्तर से विन्दकन करना अनिवार्य होगा।
20. नगर आयुक्त को किसी भी विज्ञापनपट को भारत सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं के लिए अधिकृत करने का अधिकारी होगा और उसके लिए कोई भी क्षतिपूर्ति देय न होगी।

17. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा शृंखले की दर अनुवर्ती वितीय वर्ष जिसमें यह उपविधि प्रवृत्त हुई हो, के एक वितीय वर्ष की समाप्ति के बाद इस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक वितीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नगर आयुक्त के अनुमोदनापराप्त होगी।

नगर निगम, कानपुर
बाहरी विज्ञापन प्रदर्शन के लिये पंजीकरण

01. कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) या सीमिति दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) में रजिस्ट्रेशन ब्यौरों सहित कम्पनी/फर्म/अभिकरण/स्वामी का नाम:-

02. रजिस्टर्ड पता

03. टेलीफोन नम्बर व्यापार

फैक्स.....ई-मेल पता

04. निदेशकों/स्वामियों/भागीदारों के ब्योरे

क्रम संख्या	फर्म का नाम	डी०आई०एन० नम्बर	मोबाइल नम्बर	ई-मेल पता
(1)				
(2)				

05. कम्पनी के समय ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद

06. पिछले 03 वर्षों के विज्ञापन कारोबार में अभिकरण का अनुभव, ब्योरे यदि उपलब्ध है,

07. अभिकरण के प्रत्येक निदेशक के कार्य अनुभव का विवरण,

08. निदेशक या निदेशकों का किसी अन्य अधिकरण में किसी मामले में दोषी न होने का शपथपत्र

09. पिछले 03 वर्षों की बैलेस शीट/अनुपस्थता की स्थिति में उक्त आंशय का शपथपत्र।

10. अभिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरों के लिए न किसी व्यक्ति को निदेशक बोर्ड (संकल्प पारित करके) प्राधिकार पत्र,

11. कानपुर नगर निगम में पिछले 05 वर्षों में प्राप्त विज्ञापन अधिकांशी/अनुमति के ब्यौरे,

12. शपथपत्र कानपुर नगर निगम में उसके विकल्प कोई भुगतान हेतु यथि लिखित नहीं है.

13. संस्था की किस्म.....

14. पैन नंबर

15. जी०एस०टी० नंबर

16. पंजीकरण यथि

17. क्या/आवेदक फर्म/कम्पनी को पिछले 03 वर्षों में किसी भी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में डाला गया है, (यदि हाँ तो विवरण लिखें)

18. क्या/आवेदक फर्म/कम्पनी में कोई लिखित बकाया है

19. यदि हाँ कुल लिखित यथि का विवरण दे

20. क्या/आवेदक फर्म/कम्पनी में कोई भी मामला न्यायालय में लिखित है

(यदि हाँ तो विवरण लिखें)

श्री/हम, कानपुर नगर निगम द्वारा विज्ञापन उपविधि 2021

हैं।

निवृत्तियों तथा शर्तों तथा मार्गदर्शनों का पालन करूंगा/करेंगी।

उपरोक्त सूचीबद्ध सूचना भी सत्य तथा प्रामाणिक है तथा इसके सम्बन्ध

में प्रातिकूल निकष के मामले में रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा।

हाँ

हाँ

नहीं

हाँ

नहीं

नहीं

(ऑफ लाइन प्रस्तुतिकरण के मामलें में, कृपया इस प्रारूप का प्रिंटआउट ले तथा "नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम में भुगतान योग्य" के पक्ष में नगर निगम द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसी धनराशि केडिमाण्ड ड्राफ्ट सहित इसे प्रस्तुत करें।)

टिप्पणी:-

1. यह केवल एक प्रतीकी प्रारूप है तथा समय-समय पर उपविधि के नगर निगम द्वारा रूपान्तरण/संशोधन के अधधीन है। वेबसाइट से नवीनतम संस्करण हमेशा प्रयोग किया जाना है।

नोट:- सभी सूचना भरना अनिवार्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर/मोहर

नाम.....

पता.....

दूरभाष-

1. टिप्पणी- यह केवल प्रतीकात्मक प्रारूप है तथा यह नगर निगम द्वारा समय-समय पर रूपान्तरण/संशोधन के अधधीन है।

प्रारूप-1 (क)

अनुमोदन प्रारूप

(देखिए उप-विधि 5)

संख्या.....

दिनांक

सेवा में,

.....

.....

01. टिप्पणी- आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आप उपरोक्त वर्णित शर्तों की सन्तुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते हैं।
02. टिप्पणी- यह केवल प्रतीकात्मक प्राकृत्य है तथा यह नगर निगम द्वारा समय-समय पर कंपनारण/संशोधन के अधीन है।

नगर निगम कानपुर

नगर आयुक्त

- अर्थदा आवेदन।
- दी गई मालत सूचना।
- नगर निगम, स्मार्ट सिटी/जलकल विभाग नगर निगम में ललखत देत।
- काली सूधी में काली गई स्थलत सलथातत नही है।
- अन्य।

2. आपकी नई स्वीकृति/नवीनीकरण के लिए आपका आवेदन निम्नलिखित के कारण अस्वीकृत किया गया है-

1. पंजीकरण के लिए आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है और आपको यूनिक आईएंडीए पहचान संख्याआवृत्त की गई है। कृपया नगर निगम कानपुर में सभी आगामी पत्राचार तथा नगर निगम.....की वेबसाइट पर आपके लेख को सलकत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाए।

यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है।

यह बाहरी प्रदर्शन के ओएएमडीए को लगाने के लिए नगर निगम से रजिस्ट्रेशन के बारे में आवेदन के संदर्भ में है।

श्रीमान जी,

दिनांकके संदर्भ में है।

कानपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में बाहरी विज्ञापनों के प्रदर्शन (ओएएमडीए) को लगाने के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके आवेदन संख्या

आवेदन मूल्य-500/-+ (जी0एस0टी0) प्रति स्थल

प्रारूप-2

देखिये उपविधि 6, 9,10

विज्ञापन हेतु आवेदन-पत्र

भाग-1

क्र० सं०

1. आवेदक या संस्था का नाम-

2. पता-

3. ई-मेल आई०डी०-

4. मोबाइल नम्बर-

5. पैन नम्बर-

6. जी०एस०टी० नम्बर-

7. कानपुर नगर निगम में पंजीकरण संख्या-

8. आवेदन/संस्था पर पूर्ववर्ती बकाया की स्थिति

9. संस्था की स्थिति में निर्देशकों/पार्टनरों का विवरण

10. प्रचार की विशिष्टता-पूर्ववर्ती वर्षों के अन्य संस्थाओं के साथ विशिष्ट विज्ञापन कार्य का विवरण एवं वर्तमान में नगर निगम के साथ कार्य हेतु प्रस्तावित विशिष्ट कार्य योजना प्रथक से संलग्न करें।

11. स्थल का नजरी नक्शा(जी0पी0एस0 कोआर्डिनेट्स के साथ)नगर निगम द्वारा चिन्हीकरण के अनुसार संलग्न करें

12. पूर्ववर्ती बकाया का विवरण:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	बकाया धनराशि	बकाया का कारण स्पष्ट अंकित करें।	अवशेष हेतु कोई प्रत्यावेदन कार्यालय स्तर पर लम्बित है साक्ष्य सहित संलग्न करें।
---------	--------------	--------------	----------------------------------	---

- 4. मीमांसा नम्बर-
 - 3. ई-मेल आईडी-
 - 2. पता-
 - 1. आवेदक या संस्था का नाम-
- क्र० सं०

विज्ञापन हेतु आवेदन-पत्र

(भाग-2)

दस्तावेज नम्बर-

पता-

नाम-

आवेदक के हस्ताक्षर

श्री निवासी- द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा प्रख्यातित कानून नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञापित शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020 को पूर्ण रूप से समझते हुए उपविधि में दिये गये नियमों/उपनियमों, भारत सरकार या ज्व संस्कार एवं अधिनियम में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत नगर निगम के द्वारा मविध में दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन करूँगा।

(4) स्थल का नक्शा नक्शा (जो 10/10/1959 को अर्जाईनेट्स के साथ) भवन स्वामी एवं आवेदक द्वारा संयुक्त तैयार कराएँ।

(3) स्थल की प्रस्तावित फोटोग्राफ

(2) संरचना अभियन्ता का वांछित प्रमाण-पत्र

(1) सहायित भवन स्वामी की अनापत्ति प्रस्तुत करें।

13. निजी भवन/भूमि पर अनुज्ञा की स्थिति में

--	--	--	--

5. पैन नम्बर—

6. जी०एस०टी० नम्बर—

7. कानपुरनगर निगम में पंजीकरण संख्या—

8. नवीनीकरण/एकल विज्ञापन/विज्ञापन समूह का विवरण (नगर निगम सीमान्तर्गत भूमि या सम्पत्तियों का)

(क) नगर निगम के स्वमित्व वाले भूमि/सम्पत्तियों पर ओ०एम०डी० (आउटडोर मीडिया डिस्प्ले) हेतु

क्र० सं०	विज्ञापन का प्रकार	साइज	स्थल(जी०पी०एस० कोआर्डिनेट्स के साथ)	जोन	वार्ड	यूनीक आई०डी०	अवधि	अनुज्ञा शुल्क (नगर निगम द्वारा निर्धारित)	न्यूनतम प्रीमियम (नगर निगम द्वारा निर्धारित)	ऑफर धनराशि (विवरण सहित)

9. ख)निजी भवन एवं भूमियों पर ओ०एम०डी० (आउटडोर मीडिया डिस्प्ले) हेतु

क्र० सं०	भवन संख्या/अध्यासी का नाम	विज्ञापन का प्रकार	साइज	स्थल	जोन	वार्ड	यूनीक आई०डी०	अवधि	अनुज्ञा शुल्क (नगर निगम द्वारा निर्धारित)	ऑफर धनराशि (विवरण सहित)

सेवा में,

.....

.....

विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए नये ओ०एम०डी० की स्थापना के/नवीनीकरण के लिए आपके आवेदन संख्या..... दिनांक.....के संदर्भ में है।

श्रीमान जी,

नगर निगम.....में आपकी कम्पनी/फर्म/अभिकरण द्वारा बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए ओ०एम०डी० की स्थापना/के नवीनीकरण के बारे में आपके आवेदन के सन्दर्भ में है।

यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

(क) नगर निगम के स्वमित्व वाले भूमि/सम्पत्तियो पर ओ०एम०डी० (आउटडोर मीडिया डिस्प्ले) हेतु

क्र० सं०	विज्ञापन का प्रकार	साइज	स्थल	जोन	वार्ड	यूनीक आई०डी० व बार कोड	अनुज्ञा अवधि	अनुज्ञा शुल्क (नगर निगम द्वारा निर्धारित)	प्रीमियम (नगर निगम द्वारा निर्धारित)	ऑफर धनराशि	अभियुक्ति

(ख) निजी भवन एवं भूमियों पर ओ०एम०डी० (आउटडोर मीडिया डिस्प्ले) हेतु

टिप्पणी:- आवेदन की अस्वीकृति के मामलों में आप उपरोक्त बर्णित शर्तों की सन्तुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते हैं।

टिप्पणी- यह केवल प्रतीकात्मक प्रारूप है तथा यह समय-समय पर नगर निगम द्वारा रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है।

प्रारूप-3

(देखिये उपविधि 4)

मानक संविदा करार

यह करार आयुक्त, नगर निगम, जिसे, इसमें, इसके बाद प्रथम पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक संदर्भ अर्थ के प्रतिकूल नहीं होगी तथा इसमें उसके प्रथम प्रकार के उक्त अधिकारी तथा समनुदेशिती शामिल है) के द्वारा नगर निगम, (अनुज्ञापित शुल्क) जिसका कार्यालय में है, के बीच दिनांक को (शहर का नाम) में किया गया है।

तथा

इसमें इसके बाद द्वितीय पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट बाहरी मीडिया अभिकरण के रूप में नगर निगम से पंजीकृत अपना पंजीकृत कार्यालय में रखने वाली फर्म मेसर्स के श्री/श्रीमती, (स्वामी/भागीदारों निदेशक) जब तक अभिव्यक्ति सन्दर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल नहीं होगी। इसमें द्वितीय पक्षकार के उत्तराधिकारी समनुदेशिती भी शामिल है।

चूंकि द्वितीय पक्षकार ने में स्थित, श्री/श्रीमती..... द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि/भवन पर बाहरी मीडिया यन्त्र के प्रदर्शन के लिये आवेदन किया है जिसके लिए द्वितीय पक्षकार ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) की धारा-305, 306, 452 एवं 541(41) (42) (48) तथा कानपुर नगर निगम विज्ञापन उप-विधि, 2020 के उपबन्धों के अधीन ओएमडीओ के निर्माण तथा प्रदर्शन के लिये अपनी सम्पत्ति में विज्ञापन के प्रदर्शन के लिये अपनी सम्पत्ति में विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए आवेदन आई०डी०-द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट स्वामी- के परिसर में दिनांक - से - तक अवधि के लिए प्रथम पक्षकार को आवेदन किया है, सम्पत्ति के स्वामी के साथ द्विपक्षीय करार किया गया है।

इसलिए अब यह करार साक्षी है तथा यह इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में इसके पक्षकारों द्वारा तथा बीच किया गया है:-

1. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित उओप्रओ नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञापित शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020 के उपबन्धों का पालन करने के लिये स्पष्ट रूप से सहमत है तथा वचनबद्ध है।
2. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा 15 दिन के नोटिस पर करार के समापन के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है। संविदा करार के निबन्धों तथा शर्तों की चूक की दशा में करार तुरन्त समापनीय हो जाएगा।

1. यहकि प्रथम पक्ष उक्त भवन/भूमि का स्वामी/अध्यासी है (स्वामित्व का प्रमाण संलग्न करें)

2. यहकि प्रथम पक्ष द्वारा अपने उक्त भवन/भूमियों पर द्वितीय पक्ष को बाहरी मीडिया प्रदर्शन हेतु ढांचा बनाने एवं उस पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु पृथक करार किया है।

3. यहकि प्रथम पक्ष द्वारा कानपुर नगर निगम द्वारा प्रख्यापित कानपुर नगर निगम (कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020 को पूरी तरह अध्ययन कर लिया है एवं प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष इस उपविधि में निर्धारित नियमों एवं उपनियमों का पूर्णतः पालन करेंगे।

4. यहकि द्वितीय पक्ष के द्वारा उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 एवं कानपुर नगर निगम (कानपुर नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण और वसूली) उपविधि 2020 एवं भारत सरकार व उ०प्र० सरकार के द्वारा उक्त अधिनियम, उपविधि एवं अधिनियम के अधीन समय-समय पर नगर निगम द्वारा निर्गत होने वाले निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

5. यहकि प्रस्तावित ढांचे एवं विज्ञापन से किसी क्षति या दुर्घटना की स्थिति में प्रथम एवं द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होंगे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना या क्षति से नगर निगम कानपुर का कोई भी सरोकार नहीं होगा।

6. यहकि उक्त उपविधि में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क एवं अन्य देयों का समय से भुगतान करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा भुगतान न होने पर नगर निगम द्वारा नियमानुसार विज्ञापन पट को हटाने एवं नियमानुसार बकाये की वसूली का अधिकार नगर निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी /कर्मचारी को रहेगा। जिस पर प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

नाम व हस्ताक्षर

(प्रथम पक्ष)

01. टिप्पणी— यह केवल प्रतीकात्मक प्रारूप है तथा यह नगर निगम द्वारा समय-समय पर रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है।

नाम व हस्ताक्षर

(द्वितीय पक्ष)

अनुसूची-3

नगर निगम सीमान्तर्गत शहर के पर्यावरण में सुधार /प्रदूषण में कमी/हरियाली बढ़ाने /भू-दृश्य के सौन्दर्यकरण हेतु लगाये जाने वाले ट्री-गार्ड/फ्लावर पॉट इत्यादि पर विज्ञापन की आवंटन की रीति :-

1. नगर आयुक्त द्वारा ऐसी संस्थाओं का पैनल बनाया जायेगा, जो कि वृक्षारोपण/पर्यावरण सुधार का कार्य में विशेष दक्षता व अनुभव रखती है अथवा जो इस कार्य को करने में सक्षम है। उक्त पैनल बनाने के लिए निविदा की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
2. नगर आयुक्त द्वारा ऐसी संस्थाओं को जो नगर निगम के पैनल में सूचीबद्ध हो को शहर की किसी सड़क के डिवाइडर पर या किसी ऐसी जगह (जहाँ वृक्षारोपण किया जा सकता है) पर ट्री-गार्ड/फ्लावर पॉट लगाने की अनुमति दी जा सकती है।
3. नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित नियम व शर्तों के आधार पर ट्री-गार्ड/फ्लावर पॉट पर विज्ञापन की अनुज्ञा दी जायेगी।

.....स्वीडिश निरीक्षण कर आगमन प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

अतः बर्ग-8 बी-ब्लॉक में जनहित में एक नया नलकूल लगवाने का कष्ट करें।

सादर अवगत कराना है कि बार्ड-45 बर्ग-8 ए व बी ब्लॉक में पेयजल की गम्भीर समस्या है। 25 हजार लोग परेशान है।

विषय : बार्ड-45 बर्ग-8 बी ब्लॉक में नया नलकूप लगाये जाने हेतु।

श्री अर्पित यादव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

टिप्पण प्रस्ताव संख्या-386

.....तदनुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए सदन को अभ्यस्तित किया गया।

4. नगर आयुक्त को किसी भी समय बिना कारण बताए संस्था का कायादेश निरस्त करने का अधिकार होगा।
5. दीवार किये गये पीछों को कम से कम दस से पन्द्रह वर्ष तक नियमित रूप से देखभाल सिंचाई व खाद आदि की व्यवस्था आपकी संस्था को करनी होगी।
गोदी।
6. वृक्षारोपण कार्य में सहयोग करने आवश्‍यता का दावा संगठनों का नाम (आकार 24'x18") दी गार्ड पर लिखा जायेगा जिस पर पशुविरण संरक्षण व समाल कल्याण के संदेश भी होंगे। इस प्रकार की नाम पट्टिकाओं पर यदि किसी प्रकार शुल्क, स्थानीय निकायों को देय होगा तो वह भी दावा संगठनों से जुटाकर दिया जायेगा।
7. सड़कों के किनारे पीछे लगाते समय, वृक्षारोपण सहित के अन्वेषण न्यूनतम पन्द्रह फीट की दूरी पर पीछे लगाये जायेंगे।
8. दिन स्थानों पर तिलनी व टेलीफोन के तार जा रहे है वहाँ पर ऊचाई वाले पीछे जैसे कडेल, हवसिंगार, गुलाबीन, कलंग, चोदनी, कनर, कवनार आदि पीछों का का रेंपण किया जायेगा।
9. दिन स्थानों पर खुला स्थान उपलब्ध होगा वहाँ बड़े आकार वाले पीछे जैसे नीम, पीपल पाकड़, गुलर, जायन, आम, कटहल, कदम, अशोक, खिनी, जंगल जलबी का रेंपण किया जायेगा।
10. सड़कों के किनारे पीछे लगाते समय, वृक्षारोपण सहित के अन्वेषण न्यूनतम पन्द्रह फीट की दूरी पर पीछे लगाये जायेंगे।
11. वृक्षारोपण कार्य व उसके अन्वेषण पर होने वाले व्यय के लिए प्रदेश सरकार को कोई धनराशि व्यय नहीं करनी होगी और न ही सरकार से इसके लिये कोई संगठनों के सहयोग से व जनसहभागिता के माध्यम से जुटाया जायेगा।
12. वृक्षारोपण कार्य पर होने वाला व्यय, पीछों की सुरक्षा हेतु डीगार्ड व तार बाड़ पर व्यय तथा वृक्षारोपण के परवारे पीछों के परिपक्व होने तक समस्त व्यय दावा धनराशि की मांग की जायेगी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-387

श्री अनूप शुक्ला, पार्षद/पूर्व उपसभापति मा० कार्यकारिणी एवं श्री रमेश चन्द्र, पार्षद, द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

नगर निगम मुख्यालय की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिये पूर्व से ही केयर टेकर विभाग स्थापित है। केयर टेकर कार्यालय में केयर टेकर प्रभारी के अतिरिक्त केयर टेकर के रूप में अभियन्ता/वरिष्ठ लिपिक कार्य संचालन हेतु तैनात किये जाते रहे हैं। विगत एक वर्ष से केयर टेकर के रूप में श्री सुनील निगम, लेखाकार तैनात/पदस्थ रहे हैं, जो 31 जुलाई 2021 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री सुनील निगम ने केयर टेकर पद पर रहते हुये महापौर कार्यालय, नगर आयुक्त कार्यालय, अपर नगर आयुक्त कार्यालय तथा मुख्य अभियन्ता कार्यालय का नवीकरण/जीर्णोद्धार अपने पर्यवेक्षण (देख-रेख) में बड़ी ही निष्ठा से सम्पन्न कराये जाने के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों को कुशलतापूर्वक सम्पादित किया गया है। मुख्यालय की रंगाई, सफाई, मरम्मत तथा अनुरक्षण बड़ी ही निष्ठा एवं लगन से कराया है।

चूँकि नगर निगम कार्यहित में तत्कालीन नगर आयुक्त के आदेश संख्या- 522/2021-22/क दिनांक 03.08.2021 सेवा प्रदाता कम्पनी के माध्यम से श्री सुनील निगम, सेवानिवृत्त लेखाकार को केयर टेकर के पद के साथ-साथ सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों के सम्पादन हेतु कम्प्यूटर एकाउन्टेन्ट के रूप में रू० 12500/- प्रतिमाह पारिश्रमिक पर तैनात कर दिया गया है, जो केयर टेकर पद के दायित्व एवं मंहगाई, प्रशासनिक नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त नहीं है।

अतः केयर टेकर पद के दायित्व का पारिश्रमिक को रू० 25000/- किये जाने का प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

..... नियमानुसार कार्यवाही कराने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया।

श्री राघवेन्द्र मिश्रा ने कहा कि काली मटिया मन्दिर के पास नगर निगम का पुस्तकालय है एवं वहाँ पर शादी-विवाह इत्यादि कार्यक्रम भी होते हैं, चाभी स्थानीय पार्षद के पास रहती है, वहाँ पर अतिक्रमण कर 02 दुकानें बना ली गयी है, मैंने कई बार जोनल अधिकारी एवं जोनल अभियन्ता को अवगत कराया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं कराई गयी।

सभापति ने जोनल अधिकारी, जोन-6 को निर्देशित किया कि तत्काल स्थलीय निरीक्षण कर अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करें।

अर्पित यादव ने कहा कि पूर्व में कोरोना काल में दवा छिड़कने वाली मशीने नगर निगम द्वारा क्रय की गयी थी। जो वर्तमान में निष्प्रयोज्य है, यदि उनमें एंटी मलेरिया लार्वा की दवा डलवाकर उसका छिड़काव करवा दिया जाये तो संक्रमण रोकने में सहायता होगी तथा मशीने भी चालू हालत में रहेंगी, इसी के

महानगर/समापति
(प्रतिलिपि पाठ्य)
.....ह0

तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

..... सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 10.12.2021 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

अभिमत व्यक्त करने के लिये कहा।

समापति ने दिनांक 10.12.2021 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में सभी सदस्यों से अपना-अपना सख्ती से रोका जाये।

जाये, ताकि पार्कों को संरक्षित किया जा सके। इसके अतिरिक्त नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि सड़कों एवं खुले स्थानों पर जानवरों को काटे जाने की है, जो नये माली आउटसोर्स पर रखे जाते हैं, वे जल्दी ही काम छोड़कर चले जाते हैं। अतः पुराने सेवानिवृत्त मालियों को कार्य पर रखना सुनिश्चित किया जाये। विभिन्न रावत के नाम पर नामकरण भी कराया जाये साथ ही औद्योगिक सलाहकार को निर्देशित करते हुए कहा कि पार्कों में मालियों की संख्या काफी कम समापति ने कहा कि निर्मला मिश्रा, पार्क के बाईं नानकारी में अविकसित पार्क, का विकास एवं सौन्दर्यीकरण करते हुए प्रथम वीक डिफेन्स ऑफ स्टाफ आयुक्त के माध्यम से समाधान कराते हुए मा0 समापति महोदया आपको भी की गयी कार्यवाही से अवगत करा दिया जायेगा।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने अवगत कराया कि परिवर्तन संस्था द्वारा कई बाड़ों में सफाई कराई जा रही है, यदि इसमें कोई अवयव है, तो नगर

गयी है साथ ही शौचालयों पर दुकानदारों द्वारा लाला डाल दिया गया है, इसको भी दिखवाया जाये।

समापति ने पूछा कि परिवर्तन संस्था द्वारा नवीन मार्केट में 02 दुकानें कब्जा कर उसमें अपना सामान रखते हैं, इसके लिये किसके द्वारा अनुमति दी

उनकी सहमति से एक-एक पार्क का सौन्दर्यीकरण भी कराया जाये।

दृष्टिगत रखते हुए पूर्व की भांति नगर निगम में उपलब्ध लोकड़ियों से अलाव जलवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा कार्यकारिणी सदस्यों के बाड़ में मरीया विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है और कोविड-19 के नये वैरिएंट आधिकारण से बचाव हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सेनेटिजेशन भी कराया जाये। सड़कों के

समापति ने अपर नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि मरीया विभाग के अधिकारियों को बुलाकर बैठक करा ली जाये, क्यों कि एंटी लार्वा की दवा

के बाड़ में एक-एक पार्क का सौन्दर्यीकरण कराया जाये।

साथ समापति महोदया सदस्यों में पूर्व की भांति अलाव जलवाये जाने हेतु निर्देश प्रदान करने की कृपा करें, साथ ही पूर्व की भांति हम सभी कार्यकारिणी सदस्यों

